

अध्याय - V

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप

5.1 राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों का विहंगावलोकन

कार्यकारिणी सारांश

सरकारी कंपनियों का लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के द्वारा संचालित होता है। सरकारी कंपनियों के खातों का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जो भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इन खातों का अनुपूरक परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा भी किया जाता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा संबंधित कानून के प्रावधानों द्वारा की जाती हैं। 31 मार्च 2011 को झारखण्ड राज्य में 12 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) (11 कंपनियाँ और एक वैधानिक निगम) थे। कार्यरत पी.एस.यू. द्वारा अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार सितम्बर 2011 को 2010-11 के लिए ₹1,442.90 करोड़ का आवर्त दर्ज किया गया। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.33 फीसदी था अर्थात् राज्य के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अर्थव्यवस्था में एक मामूली भूमिका निभाई गई। यद्यपि, 30 सितम्बर 2011 को अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार 2010-11 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल ₹ 702.85 करोड़ का सकल नुकसान हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2011 तक कुल निवेश ₹ 5,195.28 करोड़ था। जिसमें 2.78 फीसदी पूंजीगत निवेश और शेष 97.22 फीसदी दीर्घ अवधि के ऋण शामिल थे। 110.01 फीसदी की वृद्धि के साथ निवेश 2005-06 में ₹ 2,473.87 करोड़ से 2010-11 में ₹ 5195.28 करोड़ हो गया।

पी.एस.यू. के प्रदर्शन

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 12 पी.एस.यू. में से पाँच पी.एस.यू. को ₹ 21.57 करोड़ का

लाभ हुआ, जबकि 4 पी.एस.यू. को ₹ 724.42 करोड़ की हानि हुई तथा शेष तीन पी.एस.यू. ने अपने खातों को प्रस्तुत नहीं किया। अंतिम नवीनतम लेखों के अनुसार क्रमशः वर्ष 2004-05 एवं 1993-94 में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड तथा तेनुघाट विद्युत निगम को क्रमशः ₹ 653.29 करोड़ तथा ₹ 70.94 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान का मुख्य कारण वित्तीय प्रबंधन नियोजन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन और निगरानी में कमी थी। नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा यह प्रस्तुत करती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानि ₹ 3,850.52 करोड़ की हुई तथा ₹ 63.07 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ जिसे बेहतर प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज में सुधार लाने और हानियों को कम करने की अपार संभवनाएं हैं।

लेखाओं की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। अक्टूबर 2010 से सितम्बर 2011 के दौरान 12 सार्वजनिक उपक्रमों के पूर्ण हुए लेखाओं में से 8 लेखाओं को योग्य प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों कुछ कमजोर क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं।

लेखाओं का बकाया

सितम्बर 2011 तक सभी 12 पी.एस.यू. के 46 लेखे बकाये थे। पी.एस.यू. को लेखाओं की तैयारी के साथ-साथ बकाया लेखाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

प्रस्तावना

5.1.1 राष के सार्वजनिक ऋण उद्देश्यों (पि.एस.यू.) में राष की सरकारी कर्मनियों एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।राष्ठीय सार्वजनिक ऋण उद्देश्यों (पि.एस.यू.) की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है। सितम्बर 2010-11 तक अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार वर्ष 2010-11 में पि.एस.यू. ने ₹ 1442.90 करोड़ का आर्वांकृत किया।यह आर्वांकृत सकल घरेलू उत्पादका 1.33 प्रतिशत था।पि.एस.यू. एवं सांविधिक निगम का मुख्य कार्यकलाप ऋण केन्द्र है।वर्ष 2010-11 के दौरान पि.एस.यू. द्वारा कुल ₹ 702.85 करोड़ का ऋण उनके अन्तर्गत अंतिम लेख के समाप्त के अनुसार हुआ।वे 31 मार्च 2011 तक कुल ₹ 7815 कर्मचारियों को नियुक्त किये थे।राष के पि.एस.यू. 31 विभागीय उपक्रम (डी.यू.) को शामिल नहीं करते हैं जो वाणिज्यिक संचालन को कार्यान्वित करते हैं किन्तु वे सरकारी विभाग के अंग हैं।उन विभागीय उद्देश्यों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों को झारखण्ड सरकार के 31 मार्च 2011 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) में सम्मिलित किया गया है।

5.1.2 31 मार्च 2011 को 11 सरकारी कर्मनियों और एक सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थे।

5.1.3 वर्ष 2010-11 के दौरान एक पि.एस.यू.² स्थापित हुआ और कोई भी पि.एस.यू./सांविधिक निगम बन्द नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अधिदेश

5.1.4 सरकारी कर्मनियों का लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के द्वारा संचालित किया जाता है।धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के पास होता है।एक सरकारी कम्पनी में सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनी सम्मिलित रहती है।

5.1.5 राष के सरकारी कर्मनियों के लेखों (यथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित) की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.फ़ि.) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है।इन लेखों की प्रकृत लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा संचालित की जाती है।

5.1.6 सांविधिक निगम का लेखापरीक्षा इससे सम्बन्धित विधान के द्वारा संचालित किया जाता है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।

राज्य के सरकारी लोक उपक्रमों में निवेश

5.1.7 31 मार्च 2011 के अन्त में 12 पि.एस.यू. (एक सांविधिक निगम के साथ) में कुल निवेश ₹ 5,195.28 करोड़ (पूँजी एवं दीर्घवधि ऋण) था जिसका विस्तृत ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है:

¹ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम आंकलित आँकड़ों पर आधारित है(22 जून 2011 तक)।

² झारखण्ड राज्य मादक पेय निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.)।


तालिका-1

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
144.60	674.18	818.78	-	4,376.50	4,376.50	5195.28

पी.एस.यू. में सरकारी निवेश के सारांशकृत स्थिति के ब्यौरा परिशिष्ट-5.1 में दिये गये हैं।

5.1.8 31 मार्च 2011 को पी.एस.यू. में कुल निवेश का 2.78 प्रतिशत पूँजी के लिए और 97.22 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के लिए था। 110.01 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निवेश 2005-06 में ₹ 2,473.87 करोड़ से 2010-11 में ₹ 5195.28 करोड़ हो गया, जैसा कि चार्ट-1 में दिखाया गया है।



5.1.9 छह वर्षों के दौरान मुख्य रूप से पी.एस.यू. निवेश का केन्द्र ऊर्जा क्षेत्र में था जो 109.30 प्रतिशत की वृद्धि दर से वर्ष 2005-06 में ₹ 2,460.82 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 5,150.48 करोड़ हो गया जो सरकार एवं अन्य के द्वारा झा.रा.वि.बो. को दी गई ₹ 4,376.50 करोड़ के ऋण के साथ कर्णपुरा ईनर्जी लिमिटेड (के.ई.एल.) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.) में निवेश के कारण हुआ।

बजट के जावक, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

5.1.10 राज्य पी.एस.यू. के संबंध में मार्च 2011 के अन्त में बजट की इक्विटी में जावक, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट- 5.3 में दिये गये हैं। वर्ष 2010-11 में अन्त होने वाले तीन वर्षों का सारांशीकृत ब्यौरा तालिका-2 में दिया गया है:


तालिका-2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		पी.एस.यू. की संख्या	राशि	पी.एस.यू. की संख्या	राशि	पी.एस.यू. की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूँजी जावक	2	10.40	4	2.75	3	3.00
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	224.91	1	362.76	1	313.55
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्त	1	80.00	2	401.80	3	450.58
4.	कुल जावक	3	315.31	6	767.31	5 ³	767.13

³ कुल जावक पी.एस.यू. के कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है (झालको, जीडको, झारक्राफ्ट, जे.टी.डी.सी. एवं जे.एस.ई.बी.)।

5.1.11 पिछले छः वर्षों का लिए बजट के इक्विटी में जावक, ऋण और अनुदान/सहाय्य का विस्तृत ब्यौरे निम्न चार्ट-2 में दर्शाये गये हैं :



बजट अनुदान के रूप में ज्ञा.रा.वि.बो. को सहाय्य देने के कारण, बजटीय जावक, वर्ष 2008-09 में ₹ 315.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 767.13 करोड़ हो गया।

वित्त लेखाओं से समाधान

5.1.12 राज्य के पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण एवं प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़ों को राज्य के वित्त लेखा में अंकित आँकड़ों की सहमति होनी चाहिए। यदि आँकड़ों की सहमति नहीं होती है तो संबंधित पी.एस.यू. और वित्त विभाग द्वारा अन्तर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2011 तक की स्थिति नीचे तालिका-3 में दर्शाई है:

तालिका-3

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश	20.30	144.55	124.25
ज्या	6414.76	4906.06	1508.70

5.1.13 लेखापरीक्षा अवलोकन में सात ⁴ पी.एस.यू. (झारखण्डराख विद्युत परिषद् को मिलाकर) के सम्बन्ध में आँकड़ों में अन्तर पाया गया और 2001-02 से ही उनका समाधान होना लम्बित था। अन्तर के जाँच के बाद समाधान करने के लिए प्रधान महालेखाकार द्वारा सचिव, वित्त विभाग झारखण्ड सरकार एवं प्रबंधन के पास मामला उठाया गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी न तो किया गया न ही कोई ठोस कदम इस संदर्भ में उठाया गया।

⁴ तेनुमतविद्युत निगम लिमिटेड, झारखण्डराख औद्योगिक आभारभूत संरचना विकास निगम, झारखण्डराख विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड रेशम कपड़ा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, ग्रेटर राँची विकास एजेन्सी लिमिटेड, झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्ग्रह सिंचाई निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ।

पी.एस.यू. के प्रदर्शन

5.1.14 पी.एस.यू. के वित्तीय परिणामों, वित्तीय स्थिति और कार्यरत वैज्ञानिक निगमों के कार्यपरिणाम का विस्तृत विवरण **परिशिष्टियां - 5.2 एवं 5.5** में है। राख के फ़िंडिंग्स एवं पी.एस.यू. के आवर्त का अनुप्रत राख की अर्थव्यवस्था में उसके पी.एस.यू. के क्रियाकलाप को दिखाता है। **तालिका-4** 2005-06 से 2010-11 की अवधि में कार्यरत पी.एस.यू. के कुल आवर्त और राज्य के जी.डी.पी. का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।


तालिका-4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आवर्त ⁵	1216.12	30.77	364.90	1552.32	1565.52	1442.90
राख का फ़िंडिंग्स	62239.00	73579.00	87620	75710.78	83077.90	108400.86 ⁶
राख के फ़िंडिंग्स से आवर्त का प्रतिशत	1.95	0.04	0.42	2.05	1.88	1.33

पी.एस.यू. के आवर्त का प्रतिशत राख की फ़िंडिंग्स में वर्ष 2009-10 में 1.88 से घट कर वर्ष 2010-11 में 1.33 हो गया। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में राख के फ़िंडिंग्स में वृद्धि हुई।

5.1.15 2005-06 से 2010-11 की अवधि के दौरान राख में कार्यरत पी.एस.यू. द्वारा सकल हानि (शुद्ध ₹ 47.64 करोड़ से बढ़कर ₹ 702.85 करोड़ हो गई) प्रेसा की नीचे **चार्ट-3** में दर्शाया गया है:



(कोष्ठक के आँकड़े अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के आधार पर सम्बंधित वर्षों में कार्यरत पी.एस.यू. की संख्या दर्शाते हैं)

अद्यतन अंतिम लेखाओं के अनुसार 12 पी.एस.यू. में से पाँच पी.एस.यू. ने ₹ 21.57 करोड़ का लाभ और चार पी.एस.यू. ने ₹ 724.42 करोड़ की हानि अर्जित की। उर्युक्त

⁵ 30 सितम्बर 2011 के अन्तिम सत्यापित लेखा के आधार पर आवर्त।

⁶ 2010-11 के सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़े जून 2011 के चालू कीमतों के अग्रिम आकलन पर आधारित है।

में वर्ष 2004-05 तथा 1993-94 के अंतिम रूसे तैयार किये गये लेखों के अनुसार क्रमशः झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 653.29 करोड़) और तेनुप्तविद्युत निगम लिमिटेड (₹ 70.94 करोड़) द्वारा उठायी गयी भारी हानियाँ सम्मिलित थी। शेष तीन पी.एस.यू. ने अपना लेखा प्रस्तुत नहीं किया (सितम्बर 2011)।

5.1.16 पी.एस.यू. की हानियाँ मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, योजना, परियोजना के कार्यान्वयन, उनके संचालन और अनुश्रवण में कमी के कारण आरोपित है। सी.ए.फ़ि. के अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दिखाता है कि राज्य के पी.एस.यू. में ₹ 3850.52 करोड़ की हानियाँ एवं ₹ 63.07 करोड़ के निरर्थक निवेश बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रणीय थे। वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका-5 में दिये गये हैं:

तालिका-5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
शुद्धानि	122.02	442.43	702.85	1267.30
सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रण योग्य हानियाँ	57.25	1142.38	2650.89	3850.52
निरर्थक निवेश	16.49	0.41	46.17	63.07

5.1.17 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.फ़ि.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शायी गयी उपर्युक्त हानियाँ सरकारी कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना षँच पर आधारित है। वास्तविक नियंत्रणीय हानियाँ बहुत अधिक भी हो सकती हैं। उपर्युक्त परिस्थितियाँ संकेत करती हैं कि सरकारी कम्पनियों के कार्य कलाप में प्रभावशाली प्रबंधन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की इच्छा है।

5.1.18 अंतिम सत्यापित लेखा के अनुसार राज्य के पी.एस.यू. से सम्बन्धित कुछ अन्य प्राचल कुंजी नीचे तालिका-6 में दिये गये हैं:

तालिका-6

(₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण	2466.07	2537.65	3550.89	3774.90	4760.27	5050.68
आवर्त ⁷	1216.12	30.77	364.90	1552.32	1565.52	1442.90
ऋण/आवर्त अनुमत	2:1	82:1	10:1	2:1	3.04:1	3.50:1
ब्याज भुगतान	-	3.61	6.00	-	123.55	194.75
संचयी हानि	43.86	42.90	265.45	269.30	589.81	1646.52

5.1.19 राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा अंशदान किये गये प्रदत्त पूंजी पर न्यूनतम वाप्सी के भुगतान करने की आवश्यकता थी। अंतिम रूसे तैयार सत्यापित लेखाओं के आधार पर षँच⁸ पी.एस.यू. ने ₹ 21.57 करोड़ का सकल लाभ उपार्जित किया लेकिन कोई लाभांश भेषित नहीं किया।

⁷ 30 सितम्बर 2011 के अंतिम रूप से तैयार लेखा के आधार पर लोक क्षेत्र उपक्रमों का कुल आवर्त।

⁸ झारखण्डके.एच.सी., जे.एस.एफ़.सी., जे.एस.एम.सी. लिमिटेड और जे.ए.सी.।

लेखाओं के समापन में बकाया

5.1.20 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619 - बी के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा का समापन उस वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के भीतर करना होता है। उसी तरह सांविधिक निगम के मामले में उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखों का समापन, लेखापरीक्षा और विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण होता है। नीचे दिए गए **तालिका-7** (सितम्बर 2011) में कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखों का समापन की प्रगति का विस्तृत विवरण दिया गया है:

तालिका-7

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	कार्यरत सरकारी कम्पनियों की संख्या	8	9	10	11	12
2.	वर्ष के हिसान अंतिम रूढ़ि गये लेखों की संख्या	6	3	7	14	12
3.	बकाये लेखे की संख्या	24	43	48	46	46
4.	प्रत्येक सरकारी कम्पनी का बकाया औसत (3/1)	3.00	4.78	4.80	4.18	3.83
5.	बकाये लेखे के साथ कार्यरत सरकारी कम्पनियों की संख्या	8	9	10	11	12
6.	बकाये की सीमा (वर्षों में)	1 से 5	1 से 14	1 से 15	1 से 16	1 से 17

5.1.21 विगत वर्षों के दौरान पी.एस.यू. के बकाये लेखों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान आठ पी.एस.यू. के बकाया लेखों की संख्या 24 थी जो वर्ष 2010-11 में 12 पी.एस.यू. के मामले में बढ़कर 46 हो गई थी जिसमें एक सांविधिक निगम भी शामिल था।

5.1.22 राष सरकार ने वर्ष के दौरान आठ पी.एस.यू. जिसमें एक संवैधानिक निगम शामिल था में ₹ 4165.25 करोड़ (इक्विटी ₹ 21.25 करोड़, ऋण ₹ 1652.01 करोड़, अनुभूत ₹ 2491.99 करोड़) का निवेश किया था जिनके लेखों का समापन नहीं हुआ है जिसका विवरण **परिशिष्ट-5.4** में दिया गया है।लेखाओं और उनके अनुवर्षी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गए निवेशों और खर्चों का लेखा जोखा सही तरीके से किया गया था एवं राशि के निवेश किये जाने के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई थी और इस प्रकार इन सरकारी कम्पनियों में सरकारी निवेश, राज्य विधानमंडल के संवीक्षा की परिधि से बाहर रहा। लेखाओं के समापन में विलंब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सरकारी पैसे की धोखाधड़ी एवं बर्बादी की सम्भावनाओं के खतरे से भरा था।

5.1.23 प्रशासनिक विभागों का उत्तरदायित्व इन कम्पनियों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये सरकारी कम्पनियाँ अपने लेखों का समापन एवं उनका अंगीकार नियत अवधि में करें। यद्यपि, सरकार से संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखों के समापन में बकाये की सूचना दी गयी पर कोई उपचारी कार्यवाई नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप इन सरकारी कम्पनियों के निवल परिसंपत्तियों का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। प्रधान

महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के साथ इन लेखों के समापन के बकायें मामलों को अगस्त 2011 में भी उठाया गया था एवं बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पन्न की आवश्यकता को उल्लेख किया था।

5.1.24 उपर्युक्त बकाये की स्थिति के परिपेक्ष्य में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार द्वारा संबंधित सरकारी कम्पनियों के लेखों का कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समय पर समापन सुनिश्चित करें।

लेखों की टिप्पणियाँ एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

5.1.25 वर्ष 2010-11 के दौरान छः कम्पनियों ने अपने 12 लेखापरीक्षित लेखाओं (बकाये लेखों सहित) को प्रधान महालेखाकार को 30 सितम्बर 2011 तक अग्रसारित किया। इसमें से चार कम्पनियों के पाँच लेखाओं का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और सी.ए.जी. के पूरक प्रतिवेदन इंगित करता है कि लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत है। सी.ए.जी. के टिप्पणियों के समग्र मुद्रा मूल्य का विस्तृत विवरण तालिका-8 में दिया गया है:

तालिका-8

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.37	2	0.74	2	7.70
2.	हानि में वृद्धि	3	3.13	1	0.03	-	-
3.	आर्थिक तथ्यों का अप्रकटीकरण	-	-	2	-	-	-

(कुल मुद्रा मूल्य केवल सी.ए.जी. के टिप्पणियों पर आधारित है)

5.1.26 वर्ष 2010-11 के दौरान छः सरकारी कम्पनियों के बारह लेखाओं का समापन हुआ। इन में से चार लेखाओं पर वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा अयोग्य प्रमाणपत्र और आठ लेखाओं पर योग्य प्रमाणपत्र दिया गया था।

5.1.27 कम्पनियों के लेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे वर्णित हैं:

झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (2009-10)

- सितम्बर 2007 में सम्पन्न हुए वार्षिक सामान्य सभा में कम्पनी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त कार्य अग्रिम पर उपाजित ब्याज का न ही कोई प्रावधान किया जाएगा और न ही वह राज्य सरकार को देय होगा, जिस कारण प्रावधानों को कम एवं आमदी को ₹ 7.18 करोड़ तक बढ़ा हुआ दर्शाया गया। परिणामस्वरूप वर्ष का लाभ बढ़ा हुआ दर्शाया गया।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2009-10)

- कई बार निविदा द्वारा बेचे जाने के प्रयास किये जाने के बाद भी गिरिडीह प्रमण्डल (6953.880 मानक बोरे) और गढ़वा प्रमण्डल (50 मानक बोरे) में पड़े केन्दु पत्ते के

पुराने भण्डार, जिका मुल्य ₹ 31.99 लाख था, नहीं बेचा जा सका। चूंकि इन पत्तों के पुराने भण्डार की बिक्री की संभावना नहीं थी, अतः इस संदर्भ में कोई प्रावधान न करने के कारण, अंतिम शेष भण्डार और शुद्धलाभ को ₹ 31.99 लाख तक बढ़ा हुआ दर्शाया गया।

- आय-कर अधिनियम 1961 कि धारा 234 ए के प्रावधानों के अनुसार आय-कर विवरणी देरी से जमा करने के कारण देय ब्याज के रूप में ₹ 3.44 लाख का प्रावधान एवं धारा 234 बी एवं 234 सी के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर कम जमा करने के कारण ₹ 16.04 लाख का प्रावधान न करने से प्रावधानों को कम एवं कर आरोपन के बाद शुद्धलाभ को ₹ 19.53 लाख तक बढ़ा हुआ दर्शाया गया।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक लेखा (जे.एस.ई.बी)

5.1.28 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक का लेखा प्राप्त हो चुका था, जिसका सी.ए.फ़ि. एक माह लेखापरीक्षक है। 2004-05 तक के लेखाओं का लेखापरीक्षण कर लिया गया था और 2005-06 और आगे के लेखाओं का लेखापरीक्षण किया जा रहा था। सी.ए.जी. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करता है कि लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे वर्णित हैं:

2002-03 के लेखाओं हेतु

- विभिन्न परिचालन गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य सरकार से बोर्ड को पूँजीगत कार्य हेतु प्राप्त सहाय्य अनुदान में, ऋण सेवाओं हेतु ₹ 75 करोड़ मिले थे। चूंकि, इन संचालन से प्राप्त होने वाले लाभ कई सालों तक प्राप्त होने वाले थे, अतः इस सहाय्य अनुदान को पूँजीगत अनुदान माना जाना चाहिए न कि आयगत अनुदान। इस प्रकार ₹ 75 करोड़ से आय को बढ़ाकर एवं हानि को कम करके दर्शाया गया था।
- रेलवे द्वारा ₹ 1.57 करोड़ के विलम्ब शुल्क को छोड़ा गया, विलम्ब शुल्क खाते में समायोजित न करने और उसे खाते में रेलवे से प्राप्य दर्शाने के कारण विविध प्राप्य और चालू ऋयित्व को ₹ 1.57 करोड़ से बढ़ाकर दर्शाया गया।

2003-04 की लेखायें

- बी.एच.ई.एल. को ईंधन आपूर्ति के विरुद्ध ₹ सात करोड़ की राशि नामे की गई। हालांकि, उसे ओ.एण्ड एम. आपूर्ति/कार्य खाते में लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार ओ.एण्ड एम. आपूर्ति/कार्य अग्रिम को कम एवं ईंधन आपूर्ति के लिए अग्रिम को इसी रकम तक बढ़ा कर दर्शाया गया।
- जे.एस.ई.बी. ने वर्ष 2003-04 में ₹ 4.78 करोड़ के कोयले की कम प्राप्ति को सी.सी.एल. से प्राप्य दर्ज किया। हालांकि, सी.सी.एल. द्वारा सदृश दावों को पूर्व वर्षों में खारिज किया गया था। इस प्रकार कोयले की कम प्राप्ति को “ईंधन से सम्बन्धित हानि” में

झारना चाहिए था। प्रन्तु, ऐसा न करने के कारण खर्च एवं हानि को ₹ 4.78 करोड़ तक कम और प्राप्य को उतने ही रकम तक बढ़ा हुआ दर्शाया गया।

- निम्न कोटी के कोयले के दावे का सही लेखा नहीं होने के कारण परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 3.62 करोड़ तक बढ़ा हुआ दर्शाया गया। बोर्ड द्वारा इसे एक तरफ प्राप्य के रूप में और दूसरे तरफ इसे दायित्व के रूप में लेखाबद्ध किया गया।
- पतरातू थर्मल पवर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) में जनवरी 2002 और अगस्त 2003 के दौरान लगी आग की दो घटनाओं के संदर्भ में जे.एस.ई.बी. ने बीमा कम्पनी पर ₹ 27.49 करोड़ का वाद रखर किया था। तथापि, अग्नि ह्ना न ष्टहुए समर्त्ति का मूल्य एवं उस र संचित मूल्यह्ना को सकल खण्डुवं संचित मूल्यह्ना से नही हट या गया था।

2004-05 की लेखायें

- अगस्त 2004 से प्रभावी मूल्यह्नास की नयी दरों को न अपनाने के कारण मूल्यह्नास एवं ष्टको ह्नाँ एक तरफ ₹ 20.16 करोड़ तक बढ़ा हुआ दर्शाया गया वहीं इसी रकम तक शुद्धथायी परिसम्र्त्तिको कम झारया गया।
- जे.एस.ई.बी. ने वर्ष 2004-05 में ₹ 3.41 करोड़ के कोयले की कम प्राप्ति को सी.सी.एल. से प्राप्य दर्ज किया हालांकि, सी.सी.एल. द्वारा सदृश दावों को पूर्व में खारीज कर दिया गया था। इस प्रकार कोयले की कम प्राप्ति को “ईंधन से सम्बन्धित हानियों” में झारना चाहिए था। प्रन्तु, ऐसा न करने के कारण खर्च एवं हानि को ह्नाँ एक तरफ ₹ 3.41 करोड़ तक कम वही प्राप्य को उतनी ही रकम से बढ़ा हुआ दर्शाया गया।
- निम्न कोटी के कोयले के सही लेखा नहीं होने के कारण परिसम्पत्ति एवं दायित्व ₹ 2.99 करोड़ तक की राशि से बढ़ा हुआ दर्शाया गया था। बोर्ड द्वारा इसे एक तरफ प्राप्य के रूप में दर्शाया गया एवं वही दूसरी तरफ इसे दायित्व के रूप में भी दर्शाया गया था।
- एक करोड़ रूपये के लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान नहीं किया गया। इसके कारण प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय के साथ-साथ बकाये दायित्वों के प्रावधान एवं घाटा को भी ₹ एक करोड़ तक कम करके झारया गया था।
- पी.टी.पी.एस. में अप्रैल/मई 2004 के दौरान लगी आग से होने वाली हानियाँ क्रमशः ₹ 2.95 करोड़ और ₹ 0.26 करोड़ आँकी गयी। अग्नि से होने वाली हानि के संदर्भ में जे.एस.ई.बी. ने जून 2004 एवं जनवरी 2005 में बीमा कम्पनी पर वाद दायर किया। यद्यपि, इसे लेखा में नहीं लिया गया जिसके कारण स्थायी परिसम्पत्ति को ₹ 3.21

करोड़ तक बढ़ा हुआ एवं हानि साथ ही साथ घाटा के प्रावधान को ₹ 3.21 करोड़ कम करके झरिया गया।

5.1.29 सी.ए.फ़ि. के छिणियों के कुल मुद्रमूल्य का विस्तृत विवरण तालिका-9 में दि गये है:

तालिका-9

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	
		लेखाओं की संख्या	रकम
1.	लाभ में कमी	-	-
2.	हानि में वृद्धि	3	63.84
3.	आर्थिक तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	-
4.	वर्गीकरण की फ़ुटि	2	82.00
	कुल	3	145.84

(कुल मुद्रा मूल्य केवल सी.ए.जी. के टिप्पणियों पर आधारित है)

5.1.30 वैधनिक लेखापरीक्षकों (चाडअकाउनेट को सी.ए.फ़ि. के ह्हा कम्नी अधिनियम, 1956 की धरा 619 (3) (ए) के अन्तर्गत फ़री किये गये ह्हा निर्द्घाओं के अनुस्म लेखापरीक्षित की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने की आवश्यकता है तथा उन क्षेत्रों की ह्हचान करनी चाहिए ह्हाँ सुधर की आवश्यकता थी।व र्ष 2010-11 के ह्हान तीन कम्पनियों⁹ के समापन लेखों के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली तथा संभावित सुधर पर वैधनिक लेखापरीक्षकों के ह्हा किये गये मुख्य छिणियों का सारांश सोह्हरण तालिका-10 में दिा गया है:

तालिका-10

क्र.सं.	वैधनिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ अनुशंसाये की गई	परिशिष्ट-5.2. के अनुसार कम्पनियों का क्रम संख्या
1.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुस्म आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	1	ए-06
2.	मात्रत्मक विवरण, परिस्थिति, ह्हचान संख्या, अदि - ग्रहण की तारीख, अंचल परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन मान तथा उनकी अवस्थिति की पूर्ण विवरणी को दर्शाती उपयुक्त अभिलेखों का संधारण नहीं होना	3	ए-01, ए-04, ए-06

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

5.1.31 राष में विह्वल ह्हाँ का युक्तिसंगत व्याख्या, राष में विह्वल उत्पन्न, संचरण, एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाईसेंस निर्गत करने हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत अप्रैल 2003 में किया गया था।व र्ष 2010-11 के ह्हान फ़ेएस.ई.आर.सी. ने वार्षिक राष्व आवश्यकताओं के संबंध में पाँच एवं अन्य मामलों में 28 आदेश जारी किये थे।

⁹ परिशिष्ट-2 में क्रम. सं. ए 01, ए 02 तथा ए.03 ।

5.1.32 अप्रैल 2001 में बिजली क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य संयुक्त वचनबद्धता पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ. यू.) पर हस्ताक्षर किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में हुई प्रगति **तालिका-11** में दर्शायी गयी है।

तालिका - 11

क्र. सं.	लक्ष्य	उपलब्धि ¹⁰	
1.	18 प्रतिशत तक तंत्रहानि को कम करना	तंत्र हानि घटकर 35.04 प्रतिशत रह गयी (नवम्बर 2010)	
2.	शत प्रतिशत उपभोक्ताओं का मीट्रिण	एकल चरण (शहरी)	87.78 प्रतिशत
		एकल चरण (ग्रामीण)	64.13 प्रतिशत
		द्वि चरण (एल.टि सी.टि एवं पूर्ण प्रवाह)	96.03 प्रतिशत
		एच.टि	98.14 प्रतिशत

¹⁰ उपलब्धि प्रतिशत नवम्बर 2010 तक।

खण्ड-‘अ’ निष्पादन लेखापरीक्षा

5.2 झारखण्ड में ऊर्जा की वितरण व्यवस्था

कार्यकारिणी सारांश

प्रस्तावना

राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना में निर्धारित विभिन्न प्राचलों के संदर्भ में राज्य में हुई प्रगति का आकलन करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण के संबंध में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 के लिए नेटवर्क योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, विपत्रीकरण एवं संग्रहण कुशलता, शुल्क निर्धारण और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी सहायता को सम्मिलित किया गया।

वित्तीय स्थिति और कार्यात्मक परिणाम

बोर्ड को ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व वर्ष 2006-07 में ₹ 1,407 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 1,634 करोड़ हो गया। यद्यपि, निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में बोर्ड को हानियाँ हुई थी तथा संचित हानि, वर्ष 2006-07 में ₹ 2,400 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 5,356 करोड़ हो गयी। बोर्ड को प्रति इकाई हानि वर्ष 2006-07 में ₹ 1.47 से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 1.58 हो गया। वर्ष 2006-07 में ₹ 450 करोड़ का राजस्व घाटा था, जो बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 707 करोड़ हो गया, निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में कुल राजस्व घाटा की राशि ₹ 3407 करोड़ रही। उच्च दर पर ऊर्जा क्रय, 2003-04 से 2009-10 तक टैरिफ के संशोधन न होने से निम्न टैरिफ निर्धारण तथा विपत्रीकृत राशि के विरुद्ध कम राजस्व वसूली, हानि होने के प्रधान कारण रहे। बोर्ड का कुल ऋण, 2006-07 में ₹ 5,484 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 7,090 करोड़ हो गया।

वितरण नेटवर्क योजना

वर्तमान नेटवर्क तथा वितरण नेटवर्क में हुई अभिवृद्धि के रखरखाव के लिए बोर्ड ने कोई दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं की थी। बोर्ड के पास कोई आन्तरिक संसाधन नहीं थे तथा पूँजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए झारखण्ड सरकार पर निर्भर था। बोर्ड के द्वारा 133 शक्ति उप-स्टेशनों के निर्माण की योजना के विरुद्ध मात्र 71 शक्ति उप-स्टेशनों का निर्माण हो पाया। 2006-07 में 1406 मेगावाट (1654 एमवीए) के संबंध में भार में वृद्धि हुई तथा 2010-11 में 1895 मेगावाट (2229 एमवीए) हो गया। 2006-07 से 2010-11 की अवधि में कुल परिवर्तन (ट्रांसफरमेसन) क्षमता में

वृद्धि ऊर्जा ट्रांसफरमर्स के संदर्भ में 1947 एमवीए से 2490 एमवीए तथा वितरण ट्रांसफरमर्स के संदर्भ में 1676 एमवीए से 2415 एमवीए हो गई।

ग्रामीण विद्युतीकरण

आर.जी.जी.वी.वाई योजना के तहत परियोजनायें पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि कुल 27,174 विद्युतीकरण योग्य गाँवों में से मात्र 21,101 (78 प्रतिशत) गाँवों को ही विद्युतीकृत किया जा सका तथा 13,468 (64 प्रतिशत) गाँवों को ही ऊर्जान्वित हो सके (मार्च 2011)। अतः ₹ 58.23 करोड़ का निवेश निष्क्रिय रहा, चूंकि 360 विद्युतीकृत गाँवों 1 से 36 माह तक ऊर्जान्वित नहीं हो पाये। 107 पी.एस.एस. के निर्माण की योजना के विरुद्ध, 67 पी.एस.एस का निर्माण पूर्ण किया गया परन्तु मात्र 47 पी.एस.एस का अधिष्ठापन तथा ऊर्जान्वित किया गया। 18.92 लाख बी.पी.एल. संयोजनाओं के विरुद्ध मात्र 11.44 लाख बी.पी.एल संयोजनायें जारी की गई।

पुनः मीटरों के क्रय एवं बी.पी.एल उपभोक्ताओं के लिए मीटरों की स्थापना हेतु ₹ 38.40 करोड़ का व्यय अफलदायी हुआ क्योंकि इन उपभोक्ताओं का निश्चित दर पर विपत्रीकरण किया गया।

बोर्ड को भारत सरकार से ₹ 975.43 करोड़ अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त हुए थे जिसमें से ₹ 100.11 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका (अक्टूबर 2011)।

ए.पी.डी.आर.पी. का क्रियान्वयन

ए.पी.डी.आर.पी. परियोजना के अन्तर्गत ₹ 444.83 करोड़ की लागत से राज्य के 17 शहरों में काम करना था, जिसमें से 5 शहरों की परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हुए, हालांकि, ए.पी.डी.आर.पी. योजना भारत सरकार के द्वारा मार्च 2009 में ही समाप्त कर दी गयी थी।

परिहार्य भुगतान के उदाहरणों में टर्नकी अनुबंध में क्रियान्वयन में विलम्ब और अदक्षतापूर्ण क्रियान्वयन (₹ 10.72 करोड़) भूमि का कब्जा सुनिश्चित किये बिना संवेदक को भुगतान (₹ 1.23 करोड़) किया गया। पुनः कुछ परियोजनाओं के रेखाचित्रों के अनुमोदन, ठेकेदार के द्वारा सर्वे के पूर्व खरीद तथा कार्य के क्षेत्र में बाद में कमी के कारण ₹ 4.82 करोड़ की सामग्री अनुपयोगित रही। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ए.टी. एण्ड सी. हानि 59 तथा 42 प्रतिशत के मध्य रही तथा ए.टी.एण्ड

सी. हानि में लक्षित कमी उपलब्ध नहीं किया जा सका। नवम्बर 2010 तक मीटर विहीन उपभोक्ताओं की संख्या 8.92 लाख (57 प्रतिशत) रही तथा 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान मीटर विहीन उपभोक्ताओं का कुल मुल्यांकन कुल विक्रीकृत कुल का 17 प्रतिशत और 31 प्रतिशत के मध्य रहा।

परिचालन दक्षता

निष्पत्त लेखापरीक्षा के दौरान, राय में कुल की माँग पूरी नहीं की जा सकी; मेट्र 31 एम.यू. से 303 एम.यू. रहा। स्वयं के संचरण प्रणाली न होने के कारण डी.वी.सी. कमान्डर में उच्च लागत पर विद्युत द्रव्य के कारण ₹ 1325.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। टि.एण्ड.ए. हानि 2006-07 में 46 प्रतिशत से मेट्र 2010-11 में 35 प्रतिशत हो गई, एन्टु जे.एस.ई.आर.सी. के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। परिणामतः बोर्ड को 2006-07 से 2009-10 तक असाधारण टि.एण्ड.ए. हानियों के मदमें ₹ 668.84 करोड़ की हानि हुई।

विपत्रीकरण दक्षता

बोर्ड कुल बिक्री योग्य ऊर्जा का मात्र 54 से 65 प्रतिशत तक ही विक्रीकरण कर सका। चार अंचलों के अन्तर्गत मीटर विहीन उपभोक्ताओं के कारण बोर्ड 1386 एम.यू. ऊर्जा का विपत्रीकरण नहीं कर सका। सिका मुल्य ₹ 505 करोड़ रहा। साथ ही एच.टी. उपभोक्ताओं के द्वे शर्पूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन में देरी के कारण ₹ 18.20 करोड़ की हानि हुई।

राजस्व संग्रहण क्षमता

बोर्ड के पास ₹ 3,482.92 करोड़ का बकाया शेष था। पुनः बकाया के गलत अभिकलन के कारण बोर्ड, झारखण्ड सरकार से ₹ 395 करोड़ की वसूली एकमुश्त निपटारे के तहत नहीं कर पाया।

सब्सिडी सहायता एवं प्रति सहायता

यद्यपि कुछ श्रेणियों के उपभोक्ता भारी सब्सिडी युक्त थे तथापि बोर्ड, झारखण्ड सरकार से सब्सिडी का दावा नहीं कर पाया। झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में विद्युत द्रव्य के मदमें तथा कर्मचारियों के भुगतान मदमें बर्षों के विवेक प्रेषण हेतु ₹ 967.27 करोड़ प्रदान किया गया। राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ, आपूर्ति लागत के 20 प्रतिशत के कम या अधिक के विस्तार में होनी

चाहिये। हालांकि, टैरिफ निर्धारण में यह अन्तर आपूर्ति लागत के 20 प्रतिशत के कम या अधिक से अधिक था।

टैरिफ निर्धारण

टैरिफ संशोधन नहीं होने के कारण 2006-07 से 2009-10 के दौरान बोर्ड को वर्ष 2003-04 के टैरिफ के अनुसार विद्युत आपूर्ति करनी पड़ी, साथ ही जे.एस.ई.आर.सी. के द्वारा कुछ व्यय मदों को स्वीकार न करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने के कारण ₹ 3278 करोड़ की रास्व आवश्यकता अक्षादित रही।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

बोर्ड के द्वारा वर्तमान नेटवर्क तथा वितरण नेटवर्क में परिवर्धन के रख-रखाव हेतु विकासीय योजना तैयार नहीं की गई थी। केन्द्रीय योजनाओं जैसे आर.पि.वि.वाई. तथा ए.पी.डि.आर.पी. समय से पूर्ण नहीं हो पाए एवं केन्द्रीय योजनाओं के उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका। 2010-11 में मीटर विहीन उपभोक्ताओं की संख्या 8.92 लाख थी जे कुल उपभोक्ताओं का 57 प्रतिशत थी, वितरण, ट्रांसमिशन तथा डी.वी.सी. के 100 प्रतिशत मीटरकरण एवं एच.टी. उपभोक्ताओं के द्वे शर्पूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन नहीं हो पाया। डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में संचरण लाइन की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड को उच्च दर पर बिजली खरीदनी पड़ी। टि.एण्ड.ए. हानि 2006-07 से 2010-11 के दौरान 46 प्रतिशत से मेट्र 35 प्रतिशत रह गयी परन्तु जे.एस.ई.आर.सी. के मानदंड से अधिक रही। मीटर विहीन उपभोक्ताओं के सही आकलन हेतु कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी क्योंकि 2006-07 से 2010-11 के दौरान चार आपूर्ति अंचलों में 1386 एम.यू. ऊर्जा अविपत्रीकृत रही। बकाया शेष ₹ 3483 करोड़ अवसूलनीय था जो कि बोर्ड के 22 महीनों के राजस्व आकलन के बराबर था। लेखापरीक्षा के सिफारिशों में वितरण नेटवर्क के विकास हेतु दीर्घावधि योजना बनाना आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत विक्रीकृत गाँवों के वनचयन हेतु सशक्त प्रणाली के निर्माण तथा बी.पी.एल उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण मीटर पठन के आधार पर, डी.टी.आर. एवं डी.टी.एल का पूर्ण मीटरकरण, डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में निम्न दर पर विद्युत द्रव्य हेतु संचरण लाइन की स्थापना, अत्यधिक वितरण हानियों के क्षेत्रों में टि.एण्ड.ए. हानियों का निम्नीकरण, मीटर विहीन उपभोक्ताओं के सही रास्व आकलन तथा उपभोक्ताओं से बकाया ऊर्जा विपत्रों की वसूली के सार्थक प्रयास जैसे मुद्दे शामिल हैं।

प्रस्तावना

5.2.1 ऊर्जा क्षेत्र की वितरण व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र एवं उपभोक्ता के बीच अन्तिम जुड़ाव है। ऊर्जा क्षेत्र की दक्षता का निर्णय उपभोक्ता द्वारा इस संगठन के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। हालांकि, यह इस क्षेत्र का सबसे कमजोर पक्ष है, जो अत्यधिक हानियाँ उठा रहा है। उपर्युक्त आधार पर विद्युत क्षेत्र में सुधार का दावा वितरण व्यवस्था के दक्षतापूर्ण प्रबंधन पर निर्भर करता है। अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में राष्ट्रीय विद्युत नीति विज्ञान समर्थन से प्रयत्न संक्रमण वितरण उपयोगिताओं, जहाँ में सुधार और उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र को उचित और सस्ती कीमतों पर स्थायी बनाने के सेवाओं की लागत की वसूली के पुनर्गठन सहायता पर जोर देती है।

झारखण्ड में ऊर्जा उत्पादन, संचरण एवं वितरण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा किया जाता है जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के परिणामस्वरूप, मार्च 2001 में सृजित हुआ था। बोर्ड का पुनर्गठन कर उत्पादन, संचरण एवं वितरण के रूप में अभी तक पृथक अस्तित्व नहीं बनाया गया है। बोर्ड का प्रबंधन एक बोर्ड करता है जिसमें झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष (विद्युत), अध्यक्ष (वितरण) एवं अध्यक्ष (तकनीकी) सहित चार अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का दैनिक संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक है, जिनकी सहायता बोर्ड मुख्यालय में विद्युत वितरण को देख रख करने वाले मुख्य अभियंता, आपूर्ति एवं वितरण, वाणिज्यिक एवं राजस्व, भण्डार एवं ऋण, त्वरित विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) एवं ग्रामीण विद्युतिकरण के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय के छः महाप्रबंधक सह-मुख्य अभियंता द्वारा की जाती है। 31 मार्च 2011 के अंत में बोर्ड के पास छः आपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालय, 13 आपूर्ति अंचल एवं 39 आपूर्ति प्रमण्डल थे।

वर्ष 2006-07 में बोर्ड ने 3,742 एम.यू. विद्युत का विक्रय किया जो 2009-10 में बढ़कर 5492 एम.यू. हो गया अर्थात् 2006-10 में 46.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। बोर्ड के वितरण नेटवर्क में 31 मार्च 2011 तक 237 उप-केन्द्र 1531 सर्किटकि.मी. की एल.टी लाईन, 25782 वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं 15.64 लाख उपभोक्ता थे।

राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य ऊर्जा वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रणाली का अभिवर्धन करना, संचरण एवं वितरण हानियों और ऊर्जा चोरी पर नियंत्रण एवं कौटुंबिक क्षेत्र को वाणिज्यिक दृष्टि से योग्य बनाना है, इसके अलावा पर्याप्त साधन के उत्पादन के लिए वित्तीय कार्यनीति की रचना करना है। यह माँग प्रबंधन एवं भार प्रबंधन को ध्यान में रखकर विद्युत के अधिकतम उपयोग को संरक्षण देना का उद्देश्य रखता है। उपर्युक्त कारणों से बोर्ड के कार्यप्रणाली की निष्पादन समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या बोर्ड राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं योजना में उल्लेखित लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम था।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

5.2.2 विद्युत वितरण पर 2006-07 से 2010-11 के अवधि में बोर्ड के प्रदर्शन पर फरवरी 2011 से जून 2011 के दौरान यह निष्पत्ति लेखापरीक्षा की गई। निष्पत्ति लेखापरीक्षा मुख्य रूप से विद्युत नेटवर्क योजना एवं क्रियान्वयन, केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन

दक्षता, विपत्रीकरण एवं संग्रहण दक्षता, वित्तीय प्रबंधन, ग्राहक सन्तुष्टि संरक्षण एवं अनुश्रवण पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के अभिलेखों की जाँच बोर्ड मुख्यालय एवं तीन आपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालयों¹¹, षेच आपूर्ति अंचलों¹², 12 आपूर्ति प्रमण्डलों¹³ एवं राख लोड षेच केन्द्र(एस.एल.डिसी.) की अभिलेखों की विस्तृत षेच की गयी।

लेखापरीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाये गये पद्धति में उच्च प्रबन्धन को लेखापरीक्षा का उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदण्ड एवं पद्धति स्पष्टकरना, मुख्यालय एवं चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षित संगठन के कार्मिकों के साथ विचार विमर्श, लेखापरीक्षा के मापदण्डके सन्ध में आँकड़ों का विश्लेषण लेखापरीक्षा पृच्छा पर प्रबंधन परिचर्चा तथा टिप्पणी के लिए प्रबंधन को प्रारूप समीक्षा निर्गत करना शामिल था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

5.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न बातों का निर्धारण करना था:

- क्या राष्ट्रिय विद्वन नीति/योजना के लक्ष एवं उद्देश्य का पलन किया गया एवं वितरण में सुधार प्राप्त किये गये;
- नेटवर्क योजना की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता और इनका क्रियान्वयन;
- केन्द्रीय योजनाओं जैसे ए.पी.डी.आर.पी., पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण (आर.फ़ि.फ़ि.वी.वाई.) की दक्षता एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन;
- राख में उभोक्ताओं के विद्वन मांग को पूरा करने में संचालन क्षा;
- उपभोक्ताओं से राजस्व का विपत्रिकरण एवं संग्रहण दक्षता;
- क्या वित्तीय प्रबंधन प्रभावशाली था एवं अतिरिक्त कोष यदिकोई हो का निवेश न्यायपूर्वक किया गया;
- क्या उभोक्ता की संतुष्टिएवं शिकायत के निराकरण के मुल्यांकन की व्यवस्था है; एवं
- अनुश्रवण की व्यवस्था है एवं बोर्ड के सम्पूर्ण परिचालन की समीक्षा में इसका उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा के मापदण्ड

5.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धियों के निर्धारण के लिए अपनाए गये लेखापरीक्षा मापदण्ड:

- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान;

¹¹ धनबाद, जमशेदपुर, और राँची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र।

¹² चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, लोयाबाद और राँची विद्युत आपूर्ति अंचल।

¹³ आदित्यपुर, चाईबासा, धनबाद, घाटशिला, गोबिन्दपुर, झरिया, राँची ईस्ट, राँची सेन्ट्रल, डोरण्डा, कोकर, लोयाबाद और सरायकेला विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल।

- राष्ट्रीय विद्युत योजना, बोर्ड के वितरण नेटवर्क से संबंधित योजनाएं एवं मानक, तथा झारखण्डराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ज़एस.ई.आर.सी.) द्वारा तय योजना मासूड
- केन्द्रीय योजनाओं के अभिलेखों में सम्मिलित शर्तें
- मितव्ययता, प्रभावशालीता एवं दक्षता के सिद्धांत के संदर्भ में संविदा प्रदान करने की मानक प्रक्रिया;
- विविध संस्थाओं द्वारा संचालन गतिविधि से संबंधित निर्धारित मानकें;
- तकनीकी एवं गैर तकनीकी हानियों से संबंधित मानकें; एवं
- झारखण्डसरकार/ज़एस.ई.आर.सी. के मार्गदर्शी सिद्धांत/अनुसंधान/निष्ठा।

वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणाम

5.2.5 वार्षिक लेखे के अनुसार बोर्ड का 31 मार्च को समाप्त 2006-07 से 2009-10 वर्षों की वित्तीय स्थिति तालिका-12 में दिये गये हैं। बोर्ड ने 2010-11 का वित्तीय लेखा अभी तक नहीं बनाया है।

तालिका - 12

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
क. देयता				
प्रदत्त पूंजी	-	-	-	-
सुरक्षित एवं अतिरिक्त (योगदान, अनुदान एवं पूंजी परिसंपत्ति के मूल्य के लिए आर्थिक सहायता)	751.99	1031.89	1396.20	1494.91
उभर (उभर का ष)				
सुरक्षित				
असुरक्षित	5484.01	6184.86	7011.43	7089.60
वर्तमान देयता एवं प्रावधान	2139.86	3002.63	3065.53	3681.82
कुल	8375.86	10,219.38	11,473.16	12,266.33
ख. परिसंपत्ति				
सकल खण्ड	1698.50	1832.39	1940.72	1984.30
घट्टे: मूल्य ह्रास	925.80	969.18	1014.76	1064.55
निवल निश्चित परिसंपत्ति	772.70	863.21	925.96	919.75
कार्य प्रगति में पूंजी	397.55	869.82	1515.15	1815.02
निवेश	217.99	288.04	108.10	162.09
वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम	4587.63	4596.83	4274.23	4013.18
संचित षट	2399.99	3601.48	4649.72	5356.29
कुल	8375.86	10,219.38	11473.16	12,266.33

तालिका-12 से देखा जा सकता है कि बोर्ड का संचित घाटा 123 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2006-07 में ₹ 2,399.99 करोड़ से 2009-10 में ₹ 5,356.29 करोड़ हो गया। बोर्ड का वर्तमान देयता मुख्यतः विद्युत ऋण (₹ 1,915 करोड़) और कोयला का ऋण (₹ 373 करोड़) नहीं देने के कारण जो कि ₹ 2,288 करोड़ था, ₹ 2,139.86 करोड़ से बढ़कर

₹ 3681.82 करोड़ हो गया। बोर्ड अपने गठन से सभी वर्षों में घाटे में रहा था। बोर्ड ने मुख्यतः झारखण्ड सरकार से वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान ₹ 1605.59 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। बोर्ड का परिचालन झारखण्ड सरकार से प्राप्त अनुदानों/ऋणों पर टिका। इस प्रकार बोर्ड की वित्तीय स्थिति कमजोर थी और झारखण्ड सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण पर पूरी तरह से निर्भर थी।

5.2.6 विद्युत मूल्य के साथ-साथ 2006-07 से 2009-10 के दौरान राज्य वसुली का विवरण तालिका-13 में दिए गये हैं:

तालिका-13


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	आय				
(i)	ईंधन से आय	1406.96	1391.23	1584.91	1634.37
(ii)	सामान के अभाव के लिए अनुदान	200.00	77.27	80.00	400.00
(iii)	अन्य आय	457.24	232.18	285.07	301.44
	कुल आय	2064.20	1700.68	1949.98	2335.81
2.	वितरण (एम.यू. में)				
(i)	विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा	7559.20	7541.69	8502.08	8959.81
(ii)	घट्टे : संचरण एवं वितरण हानियाँ	3247.66	3166.95	3493.06	3171.14
(iii)	घट्टे : राज्य के बाहर ऊर्जा विक्रय (गैर निर्धारित लेन-देन)	569.46	131.42	339.17	296.31
	उपभोक्ताओं को ऊर्जा की कुल विक्री	3742.08	4243.32	4669.85	5492.36
3.	ऊर्जा वितरण पर खर्च				
क.	स्थाई लागत				
(i)	कर्मचारी लागत	169.15	168.86	189.24	207.83
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च	32.68	34.09	55.06	41.22
(iii)	मूल्य ह्रास	35.55	43.53	48.40	49.79
(iv)	ब्याज एवं वित्त भार	482.96	458.50	452.08	454.49
(v)	अन्य खर्च	126.92	390.69	257.5	147.44
	कुल निश्चित लागत	847.26	1095.67	1002.28	900.77
ख.	परिवर्तनीय लागत				
(i)	ईंधन खर्च	1599.12	1619.66	1885.66	1946.61
(ii)	ईंधन शुल्क	3.58	4.70	4.97	5.44
(iii)	संचरण/अन्य भार	28.39	124.96	37.02	121.42
(iv)	मरम्मत एवं रखरखाव	36.32	57.18	68.29	68.14
	कुल परिवर्तनीय लागत	1667.41	1806.50	1995.94	2141.61
ग.	कुल लागत 3(क) + (ख)	2514.67	2902.17	2998.22	3042.38
4.	वसूली (₹ प्रति यूनिट) (राजस्व सब्सिडी छोड़कर)	1.86	1.84	1.87	1.82
5.	निश्चित लागत (₹ प्रति यूनिट)	1.12	1.45	1.18	1.01
6.	परिवर्तनीय लागत (₹ प्रति यूनिट)	2.21	2.40	2.36	2.39
7.	कुल लागत प्रति यूनिट (₹ में) (5+6)	3.33	3.85	3.54	3.40
8.	योगदान (4-6) (₹ प्रति यूनिट)	(0.35)	(0.56)	(0.49)	(0.57)
9	लाभ (+)/हानि (-) ₹ प्रति यूनिट (₹ में) (4-7)	(1.47)	(2.01)	(1.67)	(1.58)

तालिका-13 से यह देखा जा सकता है कि 2006-07 से 2009-10 के दौरान परिवर्तनीय लागत जो कि मुख्यतः विद्युत क्रय की लागत है, 2006-07 में प्रति इकाई ₹ 2.21 से बढ़कर 2009-10 में प्रति इकाई ₹ 2.39 हो गई, जबकि वसूली ₹ 1.86 से घटकर प्रति इकाई ₹ 1.82 हो गई।

परिचालन लागत की वसूली

5.2.7 बोर्ड अपनी परिचालन लागत की वसूली में सक्षम नहीं था तथा 2006-07 में ₹ 1.47 प्रति इकाई से 2009-10 में ₹ 1.58 प्रति इकाई की हानि उठानी पड़ी जैसा कि चार्ट-5 में दर्शाया गया है:



परिचालन परिणाम से हमने यह प्रया कि 2006-07 तक ₹ 450.47 करोड़ की रास्व षट था (झारखण्ड सरकार से प्राप्त अनुदान तथा अन्य गैर टैरिफ राजस्व को ध्यान में रखने के बाद) जो 2009-10 में बढ़कर ₹ 706.57 करोड़ हो गया। 2006-07 से 2009-10 के षान रास्व का कुल षट ₹ 3406.77 करोड़ था। षय की उच्च लागत, 2003-04 से 2009-10 तक टैरिफ पुनरीक्षण नहीं होने के कारण निम्न टैरिफ तथा विपत्रीकृत राशि के विषयसंतो षप्रद राजस्व वसूली, हानि के मुख्य कारण थे। राजस्व घाटा में अत्यधिक वृद्धि पर प्रतिकारी कार्यवाही के लिए झारखण्ड सरकार को शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.2.8 25 ढरवरी 2011 को आयोजित 'प्रवेश सम्मेलन' में हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्य को बोर्ड को वर्णित किया। बाद में, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बोर्ड तथा राज्य सरकार को जून 2011 में प्रतिवेदित किया। 24 अक्टूबर 2011 को आयोजित 'निकास सम्मेलन' में बोर्ड के अध्यक्ष के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों ष विचार विमर्श किया गया। नि षद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बोर्ड की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा नि षकर्षों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्षी कंक्लियों में षरिचर्चा की ष रही है।

वितरण नेटवर्क योजना

5.2.9 राज्य में दक्ष विद्युत आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु बोर्ड को षकालीक/वार्षिक योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। माँग/संबंध लोड, पुर्वानुमानित नए विद्युत संबंध तथा इलेक्ट्रीक पावर सर्वेक्षण के आधार पर माँग में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए वर्त्मान नेटवर्क एवं वितरण नेटवर्क में षरिवर्धन की योजना तैयार किया षना है।

बोर्ड ने वर्तमान नेटवर्क एवं वितरण नेटवर्क में परिवर्धन के लिए कोई भी दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं किया था। वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर बोर्ड ने वार्षिक विकास योजना (ए.डी.पी.) तैयार किया। तथापि, व्यय की राशि के लिए कोई आंतरिक स्रोत नहीं रहने के कारण निधि के लिए बोर्ड, झारखण्ड सरकार पर निर्भर था। इसलिए, ए.डी.पी. का अंतिम रूप दिया जाना झारखण्ड सरकार से निधि की उपलब्धता पर निर्भर था। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लिए आपूर्ति एवं वितरण के लिए वार्षिक योजना/बजट आकलन के साथ-साथ वास्तविक व्यय का विस्तृत विवरण तालिका-14 में दर्शाया गया है:

तालिका-14


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्य योजना का मूल्य	आरंभिक शेष	झारखण्ड सरकार से प्राप्ति निधि	वास्तविक व्यय	शेष
2006-07	106.11	3.32	65.00	51.92	16.40
2007-08	156.25	16.40	50.00	62.95	3.45
2008-09	244.78	3.45	50.00	53.45	शून्य
2009-10	306.63	शून्य	60.00	14.17	45.83
2010-11	400.20	45.83	80.00	32.21	93.62

हमने यह प्रयास किया कि 2006-07 से 2010-11 के दौरान कार्य योजना के लिए ₹ 1213.97 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध झारखण्ड सरकार ने उसी अवधि में मात्र ₹ 305 करोड़ की निधि मुक्त किया। बोर्ड इस राशि का उपयोग करने में असमर्थ था तथा 31 मार्च 2011 को ₹ 93.62 करोड़ शेष राशि अव्ययित रह गई। अतः वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹ 1,213.97 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध बोर्ड केवल ₹ 214.70 करोड़ का ही उपयोग कर प्रयास किया। इस कारण वितरण नेटवर्क में योजना के अनुसूचित वृद्धि हासिल नहीं हो पाई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि नेटवर्क की सृष्टि के लिए वह झारखण्ड सरकार से प्राप्त निधियों पर निर्भर था। तथापि, तथ्य यह है कि बोर्ड ने 2006-07 से 2010-11 के दौरान झारखण्ड सरकार से प्राप्त ₹ 93.62 करोड़ की निधि का उपयोग नहीं कर प्रयास किया।

2006-07 से 2010-11 के दौरान उपभोक्ताओं एवं संबद्ध भार की विवरणी चार्ट-6 में दर्शाई गई है।



प्रणाली में सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को अनुवर्ती कंडिकाओं में अलग से विचार किया गया है। वितरण नेटवर्क योजना के साथ-साथ उसके विरुद्ध समग्र राज्य

में उपलब्धियों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-5.6** में दर्शाई गई है। प्ररिशि ष्टसे यहेखा ष्ट सकता है लेखापरीक्षा अवधि के ष्टान 133 विद्युत उा-केन्द्रकी अभिवृद्धिाजा के विद्युतास्तविक ष्टमें सिर्फ 71 उा-केन्द्रकी अभिवृद्धिावन विभाग की मंूरी, रेलवे अनुमति, लाईन विचलन प्राप्त करने में विलम्ब के अलावा भू-स्वामियों/तथा वन कार्यालयों द्वारा उठाए गए आपत्तियाँ इसके कारण थे।

हमने यह देखा कि 2006-07 में संबद्ध भार में वृद्धि हुई, सम्बद्ध भार 1,406 एम.डब्ल्यू. (1,654 एम.वी.ए.) से बढ़कर 2010-11 में 1,895 एम.डब्ल्यू. (2229 एम.वी.ए.) हो गया। विद्युत ष्टसागोरमर तथा वितरण ष्टसागोरमर की ष्टतरण ष्टमता में 2006-07 से 2010-11 के ष्टान ष्टमशः 1947 एम.वी.ए. से 2490 एम.वी.ए. तथा 1676 एम.वी.ए. से 2415 एम.वी.ए. की वृद्धि हुई। अतः उाभोक्ता माँग में वृद्धि की गति के अनुकूल ष्टतरण ष्टमता में ष्ट्याप्त वृद्धि हुई थी।

केन्द्र संपोषित योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण विद्युतीकरण

5.2.10 एन.ई.पी. के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करना विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार का मुख्य उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार को संयुक्त रूप से प्रयासरत होना है। तदनुसार, अप्रैल 2005 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई) का अवतरण झारखण्ड में पाँच वर्षों में सभी आवासों तक विद्युत ष्टुँचाने के लिए हुआ। योजना के अनुसार भारत सरकार को 90 प्रतिशत ष्टूँजी सब्सिडी तथा शेष 10 प्रतिशत आर.इ.सी. से ष्ट्रण प्रदान करना था। आर.जी. ष्टि.वी.वाई. के अंतर्गत X तथा XI ष्ट्ववर्षीय योजना अवधि के ष्टान ₹ 2662.61 करोड़ की कुल लागत पर 27,174 ग्रामों का विद्युतीकरण करना था जिसमें 19,712 अविद्युतीकृत (यू.ई.)/डी. इलेक्ट्रीफाइड (डी.वाई.) ग्रामों तथा विद्युतीकृत ग्रामों के 7,462 अविद्युतीकृत टोला (ई.वी.यू.टी.) सम्मिलित थे। इस योजना का कार्यान्वयन बोर्ड (6 जिलों¹⁴), ष्टिवी. सी. (8 जिलों) तथा एन.टी.पी.सी. (8 जिलों) द्वारा किया जाना था। बोर्ड द्वारा आर.जी. ष्टि.वी.वाई. का क्रियान्वयन ष्टर नि ष्टषादन लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन 31 मार्च 2009 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया था। इस योजना ष्टर हमारा आगे का अवलोकन निम्नलिखित हैं:

31 मार्च 2011 को आर.जी.जी.वी.वाई के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए गए ग्रामों की संख्या 21,101¹⁵ (16,469 यू.ई./ईई. तथा 4,632 ई.वी.यू.टी) थी। ष्टे योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किए जाने वाले कुल ग्रामों की 78 प्रतिशत थी। अतः; मार्च 2009 तक ष्टूर्ण की जाने वाली योजना 30 माह बीत जाने के पश्चात भी ष्टूर्ण नहीं हो पाई थी। विभिन्न स्तर पर विलम्ब जैसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने में, प्रायः बंदी के कारण कार्य का आवंढ तथा कार्यान्वयन में ष्टेदी, वन अनुमति एवं रेलवे से आवश्यक अनुमोद प्राप्त करने में विलम्ब इसके कारण रहे थे।

¹⁴ चाईबासा, गढ़वा, जमशेदपुर, लातेहार, पलामू और सरायकेला।

¹⁵ बोर्ड द्वारा 2006-07 से 2010-11 के दौरान विभागीय तौर पर विद्युतीकृत किये गये 1032 गाँवों को छोड़कर।

360 विद्युतीकृत गाँवों को विद्युत प्रवाह से वंचित रहने के कारण ₹ 58.23 करोड़ का निवेश निष्क्रिय रहा।

आर.फ़ि.फ़ि.वी.वाई के अन्तर्गत 21,101 विद्युतीकृत गाँवों में से सिर्फ 13,468 गाँवों (9831 यू.ई.ई. तथा 3637 ई.वी.यू.ई) पर 64 प्रतिशत थे, को विद्युत प्रवाह प्रदान की गई थी। बोर्ड द्वारा विद्युतीकृत किए गए ग्रामों के विश्लेषण से हमने यह प्रया कि 1 से 36 माह तक 360 विद्युतीकृत ग्राम विद्युत प्रवाह से वंचित थे जिसके परिणामस्वरूप इन ग्रामों पर खर्च किए गए ₹ 58.23 करोड़¹⁶ का निवेश उस अवधि में निष्क्रिय रहा। उसी तरह, 31 मार्च 2011 को डी.वी.सी. तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युतीकृत किए गए 7,273 ग्राम विद्युत प्रवाह से वंचित थे। आगे, योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए नियोजित 107 विद्युत उभ-केन्द्र (मि.एस.एस.) में से 67 मि.एस.एस. का निर्माण पूर्ण हो प्रया था। यद्यपि केवल 47 मि.एस.एस. का अडि ष्टापन एवं ऊर्जाकृत किया गया (मार्च 2011)।

बोर्ड ने यह कहा (अक्टूबर 2011) कि ग्राम तथा पी.एस.एस. को ऊर्जाकृत नहीं किए जाने का मुख्य कारण ग्रिड संयोजकता का अभाव था।

योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल.आवासों को 18.92 लाख विद्युत संयोजन दिये जाने वाले लक्ष्य के विरुद्ध केवल 11.44 लाख विद्युत संयोजन प्रदान किये गये थे जिसमें से 6.31 लाख विद्युत संयोजनों को ऊर्जाकृत नहीं किया गया। हमने यह पाया कि सामग्रियों की आपूर्ति तथा कार्य का क्रियान्वयन, समकालिक तथा समयानुसार नहीं थे। अतः, परियोजना के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन के कारण भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आर.जी.जी.वी.वाई का सम्मिलित लाभ यथा ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन करना तथा गरीबी उन्मूलन की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाया।

नियत दर पर बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण के कारण मीटरों के क्रय में व्यय किये गये ₹ 38.40 करोड़ निष्फल साबित हुआ।

हमने पुनः यह पाया कि बी.पी.एल. आवासों को सिर्फ एकल बिन्दू मीटर सहित विद्युत संयोजन प्रदान करना था। तथापि, बी.पी.एल. उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण मीटर रहित उपभोक्ताओं की तरह ₹ 30 प्रति संबंध प्रतिमाह की नियत दर पर किया जा रहा था। चूँकि ये उपभोक्ता मीटर सहित थे, इसलिए मीटर पठन के आधार पर इनका विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप इन मीटरों के क्रय तथा संस्थापना पर व्यय किए गए ₹ 38.40 करोड़ निष्फल साबित हुए।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि बी.पी.एल. उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण टैरिफ के अनुसार किया जा रहा था तथा ऊर्जा उपयोग की ईकाई सब्सिडी के आकलन के लिए ष्टाने हेतु उपभोक्ताओं को मीटर लगाना ष्ट था।

उत्तर वास्तविकता पर आधारित नहीं है क्योंकि टैरिफ में मीटर सहित तथा मीटर रहित उपभोक्ताओं के भिन्न दरों का प्रावधान है। इसलिए, मीटर सहित बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की तरह विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था।

2006-07 से 2010-11 के दौरान आर.जी.जी.वी.वाई के अन्तर्गत प्राप्त ₹100.11 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं हो पाया।

5.2.11 भारत सरकार से 2006-07 से 2010-11 के दौरान बोर्ड ने अनुदान तथा ऋण के ष्टमें ₹ 975.43 करोड़ प्राप्त किया था जिसमें से उसी अवधि में ₹ 792.18 करोड़ ष्ट व्यय किया गया। आगे, ₹ 83.14 करोड़ का अतिरिक्त व्यय के ष्टमें लेखा ष्टेखा किया गया। अतः, ₹ 100.11 करोड़ की निधि का उपयोग नहीं हो पाया (अक्टूबर 2011)।

¹⁶ 17.22 लाख प्रत्येक 279 यू.ई. तथा डी.ई. ग्रामों के लिये तथा ₹12.58 लाख प्रत्येक 81 इ.वी.यू.टी. ग्रामों के लिए।

5.2.12 आर.जी.जी.वी.वाई के अलावा, राज्य योजना के अन्तर्गत भी कुछ गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा था। कार्यादेश के विरुद्ध अनुमोदित आकलन के अनुसार प्रत्येक गावों के लिए सामग्री निर्गत किए जा रहे थे। हमने यह पाया कि एक विद्युत आपूर्ति प्रमंडल¹⁷ में कार्यादेश के विरुद्ध पूर्व में निर्गत किए गए सामग्रियों का ख्याल रखे बगैर सामग्रियाँ निर्गत की गईं। जिसके फलस्वरूप 32 गांवों के विद्युतीकरण (मार्च 2005 से मई 2007) के लिए सामग्रियों की अनुमोदित मात्रा से अत्यधिक ₹ 45.38 लाख की सामग्रियाँ निर्गत की गईं। इन सामग्रियों को न तो अन्य कार्यादेशों में समायोजित किया गया न ही आज तक (अक्टूबर 2011) भण्डार में लौटाया गया। अतः, आंतरिक नियंत्रण में कमी के कारण विभिन्न कार्यों के विरुद्ध ₹ 45.38 लाख की अत्यधिक सामग्रियाँ निर्गत की गईं।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि मामला अनुसंधान के अधीन है।

त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) तथा पुनः संरचित ए.पी.डी.आर.पी.

5.2.13 शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उप-संचरण तथा वितरण प्रणाली के अभिवर्धन तथा राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की अभिवृद्धि पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) का अनुमोद (मार्च 2003) किया। परियोजना शहरों/क्षेत्रों में समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक (ए.टी.एण्ड सी.) हानियों को नौ प्रतिशत प्रति वर्ष कम करना तथा राजस्व संग्रहण में सुधार तथा आउटेज एवं बाधाएँ कम कर के विश्वसनीय तथा गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति प्रदान करना ए.पी.डी.आर.पी. में सन्निहित मुख्य लाभ थे। ऋणउम्भोक्ताओं का 100 प्रतिशत मॉडरनिजेशन, ऋण लेखा तथा लेखापरीक्षा का क्रियान्वयन, संचरण एवं वितरण हानियों को 18 प्रतिशत तक कम करना इसकी मुख्य गतिविधियाँ थी। भारत सरकार ने राज्य के आठ विद्युत आपूर्ति अंचलों¹⁸ के अन्तर्गत 17 शहरों में आठ ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 444.83 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर अनुमोदित किया (सितम्बर/नवम्बर 2002)।

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल तथा वाणिज्यिक) में बोर्ड द्वारा ए.पी.डी.आर.पी. के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त अवलोकनों का वर्णन नीचे किया गया है:

निविदा तथा परियोजना प्रबंधन

टर्न की अनुबंध के विलम्ब और अकुशल कार्यान्वयन के कारण मामला विवाचन में जाने पर ₹ 10.72 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

- जमशेदपुर शहर के लिए नये/वर्तमान 33/11 केवी लाईन/एल.टी.लाईन की आपूर्ति तथा स्थापना/नवीकरण, वितरण उप-केनेट्र की नवीकरण तथा संवर्धन के लिए रामफ़ि प्रवर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड(आर.पी.सी.एल.) को ₹ 28.17 करोड़ के स्थिर मूल्य पर टर्न की आधार पर दो कार्यादेश जारी किया गया (जनवरी 2005)। कार्य को आठ माह (सितम्बर 2005) तक पूर्ण करना था। रेखाचित्रों का अनुमोदन में, सर्वेक्षण करने में, रोड

¹⁷ हजारीबाग अंचल के अन्तर्गत चतरा प्रमण्डल।

¹⁸ दुमका, हजारीबाग, राँची, डाल्टेनगंज, देवघर, धनबाद, लोयाबाद तथा जमशेदपुर ई.एस.सी.।

परमिट जारी करने में, वास्तविक सर्वेक्षण को ध्यान में रखकर परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) तैयार नहीं करने इत्यादि में विलम्ब के कारण कार्य की गति अत्यन्त धीमी थी। बोर्ड ने अगले दो माह में कार्य की प्रगति समीक्षा शर्त पर विलम्ब के लिए निर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ मूल्य वृद्धि के बिना बोर्ड ने जूलाई 2007 तक का समय विस्तार स्वीकार किया (नवम्बर 2006)। चूँकि कार्य प्रगति में विलम्ब था, संविदा को समाप्त करने के लिए शीर्ष बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। हालांकि प्रारूप कार्यसूची टिप्पणी को अध्यक्ष के पास उपस्थापित किया गया (दिसम्बर 2006) पर इसे शीर्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में, अध्यक्ष ने एकल विवाचक को नियुक्त करने का अनुमोद दिया (जुलाई 2007)। निर्णायक ने विस्तारित अवधि के दौरान सामग्री की आपूर्ति तथा स्थापना पर मूल्य रूपान्तरण सहित मार्च 2009 तक समय विस्तार स्वीकृत करने का निर्णय प्रदान किया (दिसम्बर 2008)। बोर्ड ने मूल्य रूपान्तरण (₹ 6.88 करोड़) तथा अन्य खर्च (₹ 3.84 करोड़) के लिए ₹ 10.72 करोड़ का भुगतान (मई 2008 से मई 2009) किया।

अतः संविदा को समाप्त करने तथा विवाचक की नियुक्ति का निर्णय प्ररक्षी तरीके से नहीं किया गया। इसके अलावा, टर्नकी संविदा के विलम्बित तथा अकुशल क्रियान्वयन के कारण ₹ 10.72 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा तथा 44 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना शेष था (मार्च 2011)।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि विवाचक द्वारा प्रदान किए गए निर्णय को सब-जज, रांची की अहमद में चुनौती दी गया है।

- धनबाद पैकेज-1 परियोजना के अंतर्गत पी.एस.एस. का पुनरुद्धार, लाइन, केबल तथा डी.टी.आर. का निर्माण/पुनः तार लगाने के कार्य जो जनवरी 2005 में प्रदान किया गया वह मार्च 2009 में पूर्ण किया गया। कार्य की शुक्लत से पहले संवेदक को कार्य के तथा सामग्रियों की बी.ओ.क्यू. को अंतिम रूप देने के लिए सर्वेक्षण करना था। हमने यह देखा कि कार्य क्षेत्र को अंतिम रूप देने से पहले ही संवेदक ने सामग्रियों की आपूर्ति कर भ्रष्टाचार के प्रचात (जुलाई 2007) कार्य के कम होने के कारण संवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए ₹ 2.40 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ अव्यवहृत रह गयीं। धनबाद पैकेज-II तथा झरीला के ₹ 2.42 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ भी उसी तरह अव्यवहृत रही।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि धनबाद पैकेज से संबंधित मामला अनुसंधान के अधीन था।

- बोर्ड के वित्तीय तथा लेखा नियमावली के प्रावधान के अनुसार, जमीन का स्वामित्व लेने के प्रचात कार्य पर व्यय किया जा सकता है। हमने यह देखा कि बुधका शहर में पीएसएस के निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा संवेदक को जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के बावजूद उसे ₹ 1.23 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया।

बोर्ड ने यह कहा (अक्टूबर 2011) कि संविदा के शर्तों के अनुबंधों के अनुरूप ही संवेदक को भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविदा की शर्तें बोर्ड की नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था।

- झरिया शहर के कार्य में (जुलाई 2010 में पूर्ण होना था) नये प्रिएसएस का निर्माण तथा अवस्थित प्रिएसएस के पुनः तथा संवर्द्धन शामिल था। कार्य का आवंटन (जुलाई 2009) ₹ 6.34 करोड़ के मूल्य पर किया गया था। संवेदक ने ₹ 3.41 करोड़ के मूल्य के सामग्रियों का आपूर्ति किया था, जिसके लिए संवेदक को ₹ 1.06 करोड़ का भुगतान किया गया था। हालांकि, असैनिक निर्माण कार्य के रेखाचित्रों के अनुमोद में विलम्ब के कारण संवेदक द्वारा उपस्कर की संस्थापना शुरू नहीं की जा सकी जिसे कार्य आवंटन के नौ माह के पश्चात बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। संवेदक ने कार्य रोक दिया तथा समय विस्तार की माँग की। अवस्थित प्रिएसएस पर अत्यधिक भार/ खराब स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य की समीक्षा के लिए बनाए गए समिति ने कार्य पूर्ण करने के लिए समय विस्तार की अनुशंसा (अप्रैल 2010) की। तथापि, बोर्ड ने समय विस्तार प्रदान नहीं किया तथा संवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियाँ उनके पास बिना संस्थापित किए पड़े थे। अतः, अदक्षतापूर्ण संविदा प्रबंधन के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया जिसके लिए बोर्ड द्वारा जिम्मेदारी तय किया जाना था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि मामले को देखा जाएगा।

वित्तीय प्रदर्शन

5.2.14 भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत अनुमत्त तथा 25 प्रतिशत ऋण) वित्त प्रदान करना था तथा शेष 50 प्रतिशत निधि की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से बोर्ड को ऋण के रूप में करना था। परियोजना के अंतर्गत ₹ 374.50 करोड़ की निधि प्राप्त की गई जिसमें भारत सरकार से प्राप्त ₹ 188.79 करोड़ के अनुमत्त तथा ऋण एवं प्रि.एफ.सी. से ₹ 185.71 करोड़ की ऋण सन्निहित थी जिसके विस्तार 2010-11 तक ₹ 343.28 करोड़ व्यय किया गया। अतः, मार्च 2009 में योजना बन्द कर दिए जाने के बावजूद ₹ 31.22 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया।

बोर्ड ने यह कहा (अक्टूबर 2011) कि जबकि पाँच परियोजनायें पूर्ण थीं, शेष बारह परियोजना पूर्ण होने के कगार पर थीं।

पुनर्संरचित ए.पी.डी.आर.पी.

5.2.15 आगे की सुधार करी रखने के लिए भारत सरकार ने XI योजना के लिए केन्द्रीय खण्ड योजना के रूप में सितम्बर 2008 में पुनर्संरचित ए.पी.डी.आर.पी. (आर-ए.पी.डी.आर.पी) आरंभ किया। आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना में भाग-ए तथा भाग-बी शामिल था। भाग-ए स्काइड¹⁹/वितरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के अलावा सभी शहरों में विश्वसनीय तथा सत्यापन योग्य आँकड़ा प्रणाली की उपलब्धि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए समर्पित था। इसके लिए, भारत सरकार के नोडल अधिकारी यथा प्रवर फाइनांस कॉरपोरेशन (प्रि.एफ.सी.) के द्वारा 100 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसे परियोजना के अनुमोद की तारीख से तीन वर्ष के अंदर पूर्ण करने एवं तीसरा ऋण स्वतंत्र आंकलन संस्था (टी.पी.आई.ई.ए.) के द्वारा यथोचित सत्यापन कराने पर ब्याज सहित

¹⁹ पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं आंकड़ा अर्जन - यह सामान्यतः औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है: कम्प्यूटर प्रणाली जो औद्योगिक, आधारभूत संरचना अथवा सुविधा-आधारित प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा नियंत्रण करता है।

अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता था। योजना का भाग-बी नियमित उप-संचरण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण तथा परियोजना अभिवर्धन से संबंधित था।

बोर्ड ने योजना के क्रियान्वयन के लिए जुलाई 2009 में झारखण्ड सरकार, उर्जा मंत्रालय (एम.ओ.पी.), तथा नोबल अभिकर्त पी.एफ.सी. के साथ चतुष्पक्षीय अनुबंध किया। एम.ओ.पी., भारत सरकार ने आर-ए.पी.डी.आर.पी. के भाग-ए के अंतर्गत सितम्बर 2009 में ₹ 225.72 करोड़ की परियोजना लागत पर 30 शहरों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) अनुमोदित किया। पी.एफ.सी. ने सितम्बर/नवम्बर 2009 में बोर्ड को ₹ 160.60 करोड़ का स्वरूपस्वीकृत किया तथा भवनपरिशुद्ध वातानुकूल, अग्निशमन, नेटवर्क संयोजन इत्यादि आधारभूत संरचनाओं के प्रावधान के लिए शेष ₹ 65.12 करोड़ की राशि झारखण्ड सरकार/बोर्ड के आंतरिक स्रोत से पूरी करनी थी।

आई.ए.टी कार्यान्वयन का कार्य मेसर्स एच.सी.एल. कोर्ट की आधर पर ₹ 138.31 करोड़ की कुल लागत पर प्रदान किया गया था (मार्च 2011)। संविदा की शर्तों के अनुसार एचसीएल को ₹ 12.04 करोड़ की अग्रिम का भुगतान (अगस्त 2011) किया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के दिशानिर्देशों के अनुसार संवेदक को मोबीलाईजेसन अग्रिम का भुगतान बैंक गारंटी (बी.जी.) के विरुद्ध होनी चाहिए तथा समय आधारित उसकी वसूली होनी चाहिए। तथापि, हमने यह पाया कि अग्रिम के विरुद्ध बी.जी. का समर्पण, वसूली की विधि तथा उस पर वसूलनीय ब्याज संविदा में अनुबद्ध नहीं किये गये थे।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि पी.एफ.सी. के मानक प्रस्ताव के लिए निवेदन (आर.एफ.पी.) में ऐसे प्रावधान नहीं होने के कारण बी.जी. के समर्पण हेतु संविदा में कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। तथापि, हमने यह पाया कि बिहार राज्य में आर-ए.पी.डी.आर.पी. के कार्यादेश में बी.जी. के समर्पण हेतु प्रावधान सम्मिलित किया गया था।


जून 2011 तक 15 माह के लिए पीएफसी से प्राप्त ₹ 30 करोड़ का ऋण अनुपयोगित रह गया।

हमने यह पाया कि बोर्ड ने पी.एफ.सी. से ₹ 30 करोड़ का ऋण लिया जून 2011 तक 15 माह की अवधि के लिए अनुपयोगित रहा जिस पर ₹ 4.31 करोड़ का ब्याज उपार्जित हो गया। अगर परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन के साथ ऋण निकासी को समन्वित किया जाता तो ब्याज के दायित्व को टाला जा सकता था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि ऐसी परियोजनाओं में अनुभव की कमी के कारण विलम्ब हुआ। उत्तर विश्वसनीय नहीं था चूंकि बोर्ड ने आर.जी.जी.वी.वाई./ ए.पी.डी.आर.पी. जैसे र्वकी परियोजनाएँ पहले भी कार्यान्वित किया था तथा समुचित योजना के हवा इस तरह की गलतियों को हटा सकता था।

समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक (ए.टी.एण्ड सी) हानियाँ

5.2.16 ए.पी.डी.आर.पी. को आरम्भ करते समय शहरी तथा उच्च ऋणत्व/उत्प्रेोग क्षेत्रों में पाँच वर्षों में ए.टी.एण्डसी. हानियाँ लगभग 60 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से करीब 15 प्रतिशत की कमी तक लाने पर ध्यान रखा गया था। इसमें प्रथम पाँच वर्षों में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ए.टी.एण्डसी हानियाँ कम करना उल्लिखित था। वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में बोर्ड द्वारा सहन की गई ए.टी.एण्ड सी. हानियों की प्रतिशतता निम्नलिखित चार्ट-7 में दिखाई गई है:



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ए.टी.एण्ड सी. हानियाँ की लक्षित कमी हासिल नहीं की जा सकी। तथापि वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में बोर्ड की ए.टी.एण्ड सी. हानियों में 59 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक की कमी आई। कम राजस्व संग्रहण, बिजली चोरी, बिना मीटर एवं दोषपूर्ण मीटर वाले संयोजनों, अदक्षता पूर्ण विपत्रीकरण तथा संग्रहण तथा अन्य तकनीकी हानियाँ इत्यादि उच्च ए.टी.एण्ड सी. हानियों के कारण थी।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि अनेक तरह के उपाय यथा फीडर्स का पृथक्करण, उर्जा चोरी निरोधक दस्तों का गठन इत्यादि द्वारा ए.टी.एण्ड सी. हानियों में आगे भी कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं का मीटर लगाना

5.2.17 100 प्रतिशत फीडर्स/उपभोक्ताओं का मीटर लगाने की लक्ष्य प्राप्ति ए.पी.डी.आर. पि योजना के उद्देश्यों में से एक थी। एम.ओ.पी., भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित (अप्रैल 2001) एम.ओ.यू. में भी झारखण्ड सरकार ने मार्च 2008 तक सभी सौ प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर लगवाने के उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। पुनः, जे. एस.ई.आर.सी ने भी बोर्ड को सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने तथा बिना मीटर के नये संयोजन नहीं देने का निर्देश दिया था (2003-04)। उसने बोर्ड को तीन माह के अंदर मीटर लगाने की योजना बनाने तथा उपस्थापित करने और प्रणाली में वर्गवार अकार्यशील/दोषपूर्ण मीटरों की संख्या तथा उन मीटरों को तीन माह के अंदर बदलने की कार्य योजना प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया था (2006-07)।

हमने यह पाया कि सेवा संयोजनों की संख्या 2007-08 में 11.55 लाख से बढ़कर 2010-11 में 15.64 लाख हो गया। दूसरी तरफ, उसी अवधि के दौरान बिना मीटर के सेवा संयोजनों की संख्या 5.47 लाख से बढ़कर 8.92 लाख हो गया। इस तरह, इस अवधि में 3.45 लाख सेवा संयोजनों बिना मीटर के प्रदान किए गये। इन बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं का खर्च की गई उर्जा की गणना आंकलन आधार पर की गई है 2007-08 से 2010-11 की अवधि में कुल विक्रीकृत किए गए उर्जा का 17 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत के मध्य था। बोर्ड ने अकार्यशील/दोषपूर्ण मीटरों की संख्या तथा मीटर लगाने की योजना से संबंधित प्रतिवेदन भी जे.एस.ई.आर.सी. को समर्पित नहीं किया था।

बोर्ड ने माना (अक्टूबर 2011) कि मीटर आपूर्ति में बढ़ोतरी संभव था तथा कहा कि मीटर की स्थाना की जा रही है।

फीडर तथा वितरण ट्रान्सफोरमर में मीटर लगाने में निष्फल व्यय

5.2.18 ए.पी.डिआर.पी. के तहत 100 प्रतिशत फीडर तथा वितरण ट्रांसफोरमर में मीटर लगाने की उपलब्धि के लिए बोर्ड ने ₹ 52.17 करोड़ की लागत से 769 फीडर तथा 13,200 डी.टी.आर. मीटर की अधिप्राप्ति तथा अधिष्ठापन किया (सितम्बर 2004/जुलाई 2006)। तथापि, हमने यह प्रयास किया कि नमूना प्रॉच किए गए चार अंचलों में 222 फीडरों में मीटर तथा जिसमें केवल 81 मीटर कार्यशील थे तथा शेष 141 मीटर दुर्घटित थे। इसके अलावा, 31 मार्च 2011 को 76 फीडरों में मीटर लगाना बाकी था। अतः बोर्ड ने योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत फीडरों में मीटर लगाने की उपलब्धि हासिल नहीं की।

परिचालन दक्षता

5.2.19 वितरण के लिए उपलब्ध समुचित ऊर्जा, वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता, लाइन क्षति में कमी लाना, चोरी की पहचान इत्यादिके आधार पर बोर्ड की परिचालन निष्पत्ति का निर्णय किया जा सकता है। इन पहलुओं पर नीचे चर्चा की जा रही है:

ऊर्जा का क्रय

5.2.20 अर्थव्यवस्था में विकास के कारण राज्य में साल दर साल ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। पूर्व में उपभोग प्रवृत्ति, वर्तमान जरूरत, लोड बढ़ोतरी प्रवृत्ति तथा टी.एण्ड डी. हानियाँ एवं इसकी प्रवृत्ति के आधार पर भविष्य में ऊर्जा की मांग तथा खर्च की गणना की जाती है।

ए.आर.आर. में दिए गए आकलन के आधार पर ए.एस.ई.आर.सी. ऊर्जा के स्रोत तथा क्रय लागत को अनुमोदित करता है। झारखण्डके अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बोर्ड अपने ऊर्जा संयंत्रों (सिकीडी में हाइड्रो ऊर्जा संयंत्र तथा पतरातू में वाष्प ऊर्जा संयंत्र) से ऊर्जा उत्पादन करता है। बोर्ड राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाले ऊर्जा उत्पन्न उद्यम एच.टी.वी.एन.एल. तथा केन्द्रीय लोक उद्यमों (सी.पी.एस.यू.) तथा मोरारजी देसाई कारपोरेशन (डी.वी.सी.) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) नेशनल हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.), पावर ग्रिड कारपोरेशन (पी.टी.सी.) इत्यादिसे ऊर्जा का क्रय करता है।

2006-07 से 2010-11 की अवधि में 17वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण के आधार पर राज्य के लिए ऊर्जा मांग का आकलन, ए.एस. ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित ऊर्जा का क्रय तथा वास्तविक क्रय की गई ऊर्जा का विवरण तालिका - 15 में दिगई है:

तालिका - 15

(मिलियन इकाई में)

वर्ष	ई.पी.एस. में आकलित माँग	जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित क्रय	स्वयं उत्पादित	ऊर्जा क्रय ²⁰	कुल उपलब्ध ऊर्जा	माँग के तुलना में ऊर्जा की कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2-6)
2006-07	7196	6458	725	6265	6990	206
2007-08	7713	6666	804	6606	7410	303
2008-09	8194	7066	1096	7067	8163	31
2009-10	8863	7583	1084	7579	8663	200
2010-11	7908	8021	553	8762	9315	(-)1407

²⁰ यू.आई.ऊर्जा विक्रय छोड़ कर।

बोर्ड 2006-07 से 2009-10 के वर्षों की अवधि में ऊर्जा माँग पूरा करने में असफल रहा। माँग की तुलना में कमी 2006-07 में 206 एम.यू. से बढ़कर 2007-08 में 303 एम.यू. हो गया जो 2008-09 में घटकर 31 एम.यू. हो गया। 2009-10 में कमी बढ़कर 200 एम.यू. हो गया। हमने यह प्रयास किया कि स्वयं का उत्पाद 2009-10 में 1084 एम.यू. से बढ़कर 2010-11 में 553 एम.यू. हो गया जिसके परिणामस्वरूप में राष्ट्रीय खेल के आयोजन के कारण ए.एस.ई.आ.सी. द्वारा अनुमोदित क्रय से 741 एम.यू. अत्यधिक क्रय हुआ। हमने प्रयास किया कि 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में ऊर्जा उत्पाद का लागत क्रमशः ₹ 2.22, ₹ 2.04 तथा ₹ 2.22 प्रति इकाई थी। जबकि इन्हीं वर्षों के दौरान ऊर्जा क्रय की औसत लागत ₹ 2.46, ₹ 2.42 तथा ₹ 2.45 प्रति इकाई थी। अतः 2007-08 से 2009-10 की अवधि में स्वयं का उत्पादन ऊर्जा क्रय से सस्ता था। इसलिए बोर्ड को उच्चतर लागत पर ऊर्जा क्रय से बचने के लिए स्वयं का विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रयास करना चाहिए।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2011) तथा कहा कि बोर्ड के विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है।

सोद वैली कार्पोरेशन (डी.वी.सी.) से उच्चतर दर पर ऊर्जा क्रय का एक उद्घरण नीचे विमर्शित है:

डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में स्वयं का संचरण लाइन के अभाव में बोर्ड ने ₹ 1325.16 करोड़ के अतिरिक्त लागत पर ऊर्जा क्रय किया।

डी.वी.सी. अधिनियम 1948 की धारा 18 के अनुसार डी.वी.सी. द्वारा खण्डके अपने कमान क्षेत्र²¹ में एच.टी. उपभोक्ताओं को 30 के.वी. वोल्टेज एवं उसके ऊपर विद्युत आपूर्ति करता है। बोर्ड मुख्यता वहाँ पर एल.टी. उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में बोर्ड को अपनी संचरण लाइन निर्माण करने की अनुमति है। तथापि, बोर्ड ने अपने संचरण लाइन की स्थापना नहीं की तथा डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में आपूर्ति के लिए डी.वी.सी. से विद्युत प्राप्त किया जा रहा है। हमने यह पाया कि डी.वी.सी. से क्रय की जा रही विद्युत का दर बोर्ड द्वारा विद्युत क्रय के औसत दर से उच्चतर था। परिणामस्वरूप 2006-07 से 2010-11 की अवधि में ऊर्जा क्रय के लिए बोर्ड को ₹ 1325.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2011) एवं कहा कि डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में संचरण लाइन के निर्माण के लिए 2005 में योजना बनाई गई थी लेकिन आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

उप-संचरण एवं वितरण हानियाँ

5.2.21 विद्युत उत्पादन स्रोत तथा विद्युत के अंतिम उपभोक्ता के मध्य वितरण प्रणाली एक प्रमुख तथा अनिवार्य कड़ी है। प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित किया जाना है कि ऊर्जा के उप-संचरण एवं वितरण में न्यूनतम हानि हो। संचरण से उपभोक्ता तक विद्युत वहन करने के दौरान नेटवर्क में कुछ ऊर्जा की क्षति हो जाती है। 33 के.वी. के स्तर पर हानियों को उप-संचरण हानियाँ कहते हैं जबकि 1 के.वी. तथा नीचे की हानियों को

²¹ धनबाद तथा बोकारो जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, पलामू, राँची, लोहरदगा तथा दुमका जिला के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ।

वितरण हानियाँ कहते हैं। यह बोर्ड द्वारा प्राप्त ऊर्जा (भुगतान किया हुआ) तथा उपभोक्ताओं का किये गये विद्युत विपत्रीकरण में अंतर पर आधारित होता है। उपलब्ध ऊर्जा पर हानि की प्रतिशतता वितरण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है। हानियाँ मुख्यतः दो तरह यथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक होती हैं। ऊर्जा के संचरण एवं वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के अन्तर्निहित विभिन्न घाटा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा वहन करने वाले तार में प्रतिरोधशक्ति के कारण तकनीकी हानियाँ होती हैं। दूसरी तरफ, चोरी, षट्पूरण मीटर तथा बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति इत्यादि के कारण वाणिज्यिक हानियाँ होती हैं।

जे.एस.ई.आर.सी. ने अपने टैरिफ आदेश में मानक टी.एण्ड डी. हानियों की उपलब्धि तक टी.एण्ड डी. हानियों में प्रति वर्ष चार प्रतिशत की कमी लाने का निर्देश दिया। 2006-07 से 2010-11 की अवधि में बोर्ड द्वारा सहन की गई वास्तविक टी.एण्ड डी. हानियाँ **तालिका-16** में दर्शायी गयी हैं:

तालिका-16

क्र. सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ²²
1.	घर की गई ऊर्जा (स्वयं का उत्पन्न सहित) (एम.यू.)	6990	7410	8163	8663	6106
2.	विद्युत की गई ऊर्जा/विपत्रीकृत (एम.यू.)	3742	4243	4670	5492	3969
3.	ऊर्जा हानि (1-2) (एम.यू.)	3248	3167	3493	3171	2137
4.	ऊर्जा हानि की प्रतिशतता (प्रतिशत) $\{(3/1) \times 100\}$	46	43	43	37	35
5.	जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा अनुमान्य हानियाँ (प्रतिशत)	36.66	32.66	28.66	24.66	20.66
6.	अतिरिक्त हानियाँ (एम.यू. में)	685	747	1153	1035	876
7.	प्रति इकाई औसत वसूली दर (₹ में)	1.86	1.84	1.87	1.82	अनुपलब्ध
8.	अतिरिक्त हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) (6x7)	127.41	137.45	215.61	188.37	अनुपलब्ध

2006-07 से 2009-10 की अवधि में बोर्ड को असामान्य टी.एण्ड डी. हानियाँ सहन करनी पड़ी जिससे ₹ 668.84 करोड़ की राजस्व हानि उठानी पड़ी

बोर्ड को वित्तीय रूप से स्वयं को संभालने के लिए टी. एण्ड डी. हानियों में कमी लाना एक महत्वपूर्ण कदम है। हानियाँ कम करने की महत्ता का अंदाज इस बात से लगता है कि हानियों में एक प्रतिशत की कमी 85.70 एम.यू. की बचत करता है तथा बोर्ड के राजस्व में ₹ 15.60 करोड़²³ तक की बढ़ोतरी करता है। **तालिका-16** से देखा जा सकता है कि 2006-07 की अवधि में बोर्ड द्वारा संचरण एवं वितरण में सहन की गई वास्तविक ऊर्जा हानि 46 प्रतिशत थी जो 2010-11 (नवम्बर 2010 तक) में घटकर 35 प्रतिशत हो गई है, जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा तय की गई मानक से उच्चतर थी। इस कारण जे.एस.ई.आर.

22 2010-11 के लेखाओं के समापन नहीं होने के कारण तथा कम्प्यूटर विपत्रीकरण अभिकर्ता के बदल जाने के कारण केवल अप्रैल 2010 से नवम्बर 2010 तक के आँकड़े ही उपलब्ध थे।

23 (ऊर्जा हानि 3171 एम.यू./37 प्रतिशत हानि) = 85.70 एम.यू. x ₹ 1.82 प्रति इकाई वसूली = ₹ 15.60 करोड़) 2009-10 की दर गणना कर के।

सी. ने वास्तविक हानियाँ अनुमान्य किया तथा संबंधित वर्षों के खर्चों को सत्याप्त करने के लिये उनके द्वारा तय किए गए लक्ष्य के आधर पर एण्ड्रीड हानियों को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप 2006-07 से 2009-10 की अवधि में असामान्य एण्ड्रीड हानियों के कारण ₹ 668.84 करोड़ की हानि सहन करनी पड़ी। इन उच्च हानियों के मुख्य कारण भारी संख्या में बिना मीटर के/दोषपूर्ण मीटर के उपभोक्ता, विद्युत चोरी इत्यादि हैं।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि टी. एण्ड डी. हानियों में कमी लाने के लिए जले हुए मीटरों को बदलने, विद्युत चोरी निरोधक (ए.पी.टी) दस्तों द्वारा औचक निरीक्षण करना, एच.टी. तथा एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं का टेली-मीटरिंग इत्यादि जैसे उपाय किए जा रहे हैं। तथा यह यह प्रतीत है कि एण्ड्रीड हानियाँ ए.एस.ई.आर.सी. के मानकों से काफी ज्यादा थी तथा बोर्ड के द्वारा इस सम्बन्ध में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत थी।

रूपांतरण क्षमता

5.2.22 ट्रांसफोरमर विद्युत के संचरण तथा वितरण में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए अदृष्टापीत एक स्थिर यंत्र है। प्राथमिक उपकेन्द्रों से प्राप्त उच्च वोल्टेज (132 के.वी., 66 के.वी., 33 के.वी.) के विद्युत को 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों में उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निम्न वोल्टेज (11 के.वी.) में रूपांतरित की जाती है। समस्त संबंधित लोड की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूपांतरण क्षमता होना चाहिए। ट्रांसफोरमर को जलने/क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वितरण ट्रांसफोरमर का अपने निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत अनुकूलतम बरदाश्त क्षमता है। बोर्ड की वर्ष 2006-07 से 2010-11 के वर्षों की अवधि में संबंधित भार साथ ही साथ 80 प्रतिशत की रूपांतरण क्षमता तालिका-17 में दर्शायी गई है:

तालिका - 17

(एम.वी.ए. में)

वर्ष	संबंधित भार	80 प्रतिशत दर पर अपेक्षित डी.टी.आर. क्षमता	वास्तविक डी.टी.आर. क्षमता	रूपांतरण क्षमता में अंतराल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
2006-07	1654	2068	1676	392
2007-08	1694	2118	2092	26
2008-09	1835	2294	2182	112
2009-10	1994	2493	2305	188
2010-11	2229	2786	2415	371

तालिका - 17 से देखा जा सकता है कि रूपांतरण क्षमता में अंतराल 2006-07 में 392 एम.वी.ए. से घटकर 2007-08 में 26 एम.वी.ए. हो गई, हालांकि 2008-09 में 112 एम.वी.ए. से समान रूप से बढ़ते हुए 2010-11 में 371 एम.वी.ए. हो गई। वितरण क्षमता तथा संबंधित भार में विसंगति के कारण वितरण ट्रांसफोरमर पर अत्यधिक भार होने लगा जिससे ट्रांसफोरमरों के विफल होने का उच्चतर दर, वोल्टेज में उतार चढ़ाव, उच्चतर ट्रीपींग तथा आउटेज के अलावा अत्यधिक लाईन हानि हुआ।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि ट्रांसफोरमर विफल होने के दर को घटाने के लिए वितरण ट्रांसफोरमर क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है।

वितरण ट्रान्सफोरमर (डी.टी.आर.) का निष्पादन

5.2.23 मानक से अधिक विफल हुए डी.टी.आर. तथा उनके मरम्मत पर व्ययित राशि का ब्यौरा तालिका-18 में दर्शाया गया है:

तालिका-18

क्र.सं.	व्यौरा	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	वर्ष के अंत में वर्तमान डी.टी.आर. (संख्या में)	19821	20439	21341	21958	23518
2.	विफल डी.टी.आर. (संख्या में)	851	1008	1329	1549	1962
3.	विफलता की प्रतिशतता	4.29	4.92	6.19	6.45	7.65
4.	एम.ओ.पी. ह्रा अनुमान्य मानक (प्रतिशत में)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
5.	मानक से अधिक विफलता की प्रतिशतता	2.79	3.42	4.69	4.95	6.15
6.	विफल डी.टी.आर. के मरम्मति पर व्ययित राशि ²⁴ (₹ करोड़ में)	अनुपलब्ध	1.70	4.51	5.28	4.81

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि डी.टी.आर. विफलता की प्रतिशतता लेखापरीक्षा अवधि में 4.29 से 7.65 प्रतिशत बढ़ गई जो कि 1.50 प्रतिशत के मानक से अधिक था हालांकि यह पड़ोसी राज्य बिहार में राज्य विद्युत बोर्ड के ट्रान्सफोरमरों के विफलता दर जो 2006-07 से 2010-11 की अवधि में 10.40 तथा 17.46 प्रतिशत से कम थी। हमने यह देखा कि परिचालन तथा अनुरक्षण (ओ.एण्डएम.) नियमावली के अनुसार ट्रान्सफोरमरों के निवारक अनुरक्षण जैसे माह में एक बार शीर्ष लोड अवधि के दौरान प्रत्येक ट्रान्सफोरमर की लोड जांच, छः महीनों में अर्थ प्रतिरोधन की जांच, छः महीनों में ट्रान्सफोरमर तेल की नमूना जांच नहीं की जा रही थी। बोर्ड ने भार बढ़ोतरी तथा समय पर ए.पी.डी.आर.पी. तथा आर.ए.डी.पी.आर.पी. योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाना डी.टी.आर. विफलता की उच्च प्रतिशतता का कारण ठहराया। उसने यह भी कहा कि ओ. एण्ड एम. नियमावली के अनुसार निवारण अनुरक्षण पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं था। तथापि, नियमावली के अनुसार परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य के लिए कोई दस्तावेज ओ.एण्ड एम. स्कंध द्वारा संघारित नहीं किया जा रहा था।

वाणिज्यिक हानियाँ

5.2.24 वाणिज्यिक हानियाँ खासतौर पर चोरी के अलावा उपभोक्ताओं के मीटर तथा विपत्रीकरण से संबंधित है। जबकि, मीटर लगाने तथा विपत्रीकरण के पहलु क्रमशः ए.पी. डी.आर.पी. योजना के क्रियान्वयन तथा विपत्रीकरण दक्षता के अन्तर्गत अच्छादित की गई है, वाणिज्यिक हानियों से संबंधित अन्य अवलोकन नीचे विवेचित की गई है:

ऊर्जा की चोरी तथा छापामारी दल का प्रदर्शन

5.2.25 उपभोक्ताओं द्वारा मीटर से छेड़छाड़ तथा जो उपभोक्ता नहीं है उनके द्वारा अनाधिकृत तैरिंग/हुकिंग से विद्युत चोरी के कारण पर्याप्त वाणिज्यिक हानियाँ होती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अनुसार चोरी एक दंडनीय अपराध है। चोरी/हानि को कम करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 में प्रावधान है कि

²⁴ स्थापना लागत छोड़कर।

उपकरण के निरीक्षण तथा जाँच के लिए अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के परिसर में दाखिल हो सकता है। **तालिका-19** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान की गई छापेमारी के स्थिति को दर्शाता है।

तालिका-19

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जाँच किए गए उपभोक्ताओं की संख्या	पहचान की गई चोरी के मामले	आकलित राशि	वसूली गई राशि	वसूली नहीं की गई राशि
2006-07	1061806	2294	1455	26.97	0.56	26.41
2007-08	1154599	1779	1118	10.50	0.59	9.91
2008-09	1236322	4592	3235	26.69	4.90	21.79
2009-10	1455454	7268	4238	24.76	4.59	20.17
2010-11	1563943	22489	9437	25.01	5.91	19.10

हमने यह पाया कि बोर्ड ने सेवा संबंधों की जाँच के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया था। जाँच किए गए उपभोक्ताओं की संख्या 2006-07 में 2,294 से बढ़कर 2010-11 में 22,489 हो गई हालांकि जाँच किए गए उपभोक्ताओं की प्रतिशतता 0.22 से 1.44 प्रतिशत के आस पास में कमतर थी। पहचान की गई चोरी के मामलों की संख्या उस अवधि में 1455 से बढ़कर 9437 हो गई जो उपभोक्ताओं द्वारा चोरी की उच्चतर घटनाओं को इंगित करता है। अतः चोरी की घटनाओं में कमी लाने के लिए ज्यादा छापेमारी करने की आवश्यकता थी तथा पहचान की गई चोरी के मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने की जरूरत थी।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि वसूली कम थी क्योंकि विद्युत संबंध को पुनर्बहाल करने के लिए आसन्न मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा कानूनी रास्ते अपना लिए होते हैं तथा मामले विचाराधीन बन जाते हैं। यद्यपि, बोर्ड द्वारा मामलों के तेजी से निष्पन्न हेतु कोई उपयुक्त अनुश्रवण प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

विपत्रीकरण दक्षता

5.2.26 अधिसूचित विपत्रीकरण चक्र के अंत में बोर्ड प्रत्येक उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का पठन करता है तथा उपभोक्ताओं को विपत्र निर्गत करता है। बिना मीटर के उपभोक्ताओं के मामले में विपत्रीकरण की गई इकाई को आकलित इकाई कहा जाता है। एल.टी. संबंधों के मामले में उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण प्रमण्डल स्तर पर तथा एच.टी. उपभोक्ताओं का अंचल स्तर पर किया जाता है।

विपत्रीकरण की क्षमता अपने उपभोक्ताओं को ऊर्जा की अधिकतम वितरण/विद्युत करके समय पर उनसे रास्त्र वसूली करने पर निर्भर करता है जिसे **तालिका-20** में दिया गया है:

तालिका-20

(एम. यू. में)

क्र. सं.	व्यौरा	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ²⁵
1.	विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा	6990	7410	8163	8663	6106
2.	विक्रीकृत ऊर्जा (प्रतिशत)	3742 (54)	4243 (57)	4670 (57)	5492 (63)	3969 (65)
3.	मीटर पठन की गई ऊर्जा	अनुपलब्ध	3523	3631	4069	2741
4.	बिना मीटर के विक्रय की गई आकलित ऊर्जा	अनुपलब्ध	720	1039	1423	1228
5.	मीटर वाले विक्रय प्र आकलित ऊर्जा की प्रतिशतता	अनुपलब्ध	20.44	28.61	34.97	44.80

तालिका-20 से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा का केवल 54 से 65 प्रतिशत का विपत्रीकरण कर पाया साथ ही, 2007-08 में बिना मीटर के आकलित विक्रय की प्रतिशतता 20.44 प्रतिशत थी जो निरंतर बढ़ता गया तथा 2010-11 में बढ़कर 44.80 प्रतिशत हो गया। उच्च टि एण्ड हानि, चोरी इत्यादि निम्न विक्रीकरण प्रतिशतता के मुख्य कारण थे। कम विपत्रीकरण का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

निर्धारण के अनुसार मीटर विहीन उपभोक्ताओं से 1386 एम.यू. ऊर्जा का विपत्रीकरण नहीं किया गया।

चार अंचलों²⁵ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने यह पाया कि बोर्ड ने 2006-07 से 2010-11 की अवधि में संबंधित वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बिना मीटर के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का आकलन 1858 एम.यू. किया। तथापि, बिना मीटर के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के अनुसार बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण समान दर पर 472 एम.यू. पर किया। अतः, बिना तर्कसंगति के ₹ 504.67 करोड़ मूल्य के 1386 एम.यू. की ऊर्जा बिना विपत्रीकरण के रह गई हलांकि उसे आकलन में उपभोग की गई माना गया था।

बोर्ड ने इस पर कोई उत्तर समर्पित नहीं किया।

टैरिफ का गलत अनुप्रयोग

5.2.27 अनुप्रयोज्य टैरिफ के अनुसार, 107 एच.पी./100 के.वी.ए. के उपर संविदा माँग/ संबंधित भार वाले उपभोक्ताओं का उच्च विभव सेवा (एच.टि.एस.) के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाना था तथा तदनुसार विक्रीकरण किया जाना था। हमने यह प्रयास किया कि एक प्रमण्डल (आदित्यपुर) में 114 एच.पी. से 243 एच.पी. के परास में संबंधित भार वाले 16 उपभोक्ताओं को 3 माह से 58 माह (नवम्बर 2010 तक) तक की अवधि में निम्न विभव औद्योगिक सेवा (एल.टि.आई.एस.) के वर्ग में विक्रीकरण के कारण ₹ 56.04 लाख की राश्व हानि हुई। उसी तरह, तीन अंचलों²⁶ में 12 एल.टि.आई.एस. उपभोक्ताओं²⁷ जिका मासिक अधिकतम माँग 100 के.भी.ए. से अधिक था उनको एच.टी.एस. में वर्गीकृत नहीं

25 जमशेदपुर, चाईबासा, धनबाद तथा लोयाबाद अंचल।

26 धनबाद, लोयाबाद तथा जमशेदपुर आपूर्ति अंचल।

27 चार उपभोक्ताओं को बाद में एच.टी.एस. में वर्गीकृत किया गया।

किया तथा 7 से 30 माह (मार्च 2011 तक) की अवधि तक एल.ए.आई.एस. में विप्रीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को ₹ 35.83 लाख की हानि उठानी पड़ी। अतः, टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण ₹ 91.87 लाख की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि मामले की जाँच की जाएगी।

त्रुटिपूर्ण मीटर बदलने में विलम्ब

5.2.28 ए.एस.ई.आर.सी. की विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के अनुसार मीटर के फुर्छिया या जलने तथा उपभोग की गई ऊर्जा को सही तरह से अंकित नहीं कर पाने कि स्थिति में उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए पिछले बारह महीनों के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना है। तत्पश्चात, त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदला पना है।

22 एच.टी. उपभोक्ताओं जिनके मीटर त्रुटिपूर्ण थे के औसत विपत्रीकरण के कारण ₹ 18.20 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

हमने यह प्रया कि, तीन विद्युत अंचलों²⁸ में 2004 के ऐशन 22 एच.टी उपभोक्ताओं के मीटर फुर्छिया थे। तथापि, अंचल कार्यालयों द्वारा तीन माह के नियत अवधि में मीटर को बदला/मरम्मत नहीं किया गया। तथा 12 माह से 74 माह की अवधि तक उपभोक्ताओं को औसत दर पर विपत्रीकरण जारी रखा गया। बाद में, त्रुटिपूर्ण मीटर के बदलने के पश्चात् उपभोक्ताओं द्वारा 12 माह के औसत ऊर्जा उपभोग तीन माह के बाद भी मीटर त्रुटिपूर्ण रहने वाली अवधि से अधिक प्रया गया। इस अवधि में उपभोग की गई औसत ऊर्जा की अनुमान करने पर राजस्व हानि ₹ 18.20 करोड़ होती है।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि सभी एच.टी. उपभोक्ताओं को बाद में मीटर लगा दिया गया है। उत्तर वास्तविकता पर आधारित नहीं है क्योंकि एक आपूर्ति अंचल में दो एच.टी. उपभोक्ताओं का मीटर 2004 से फुर्छिया था तथा अन्य तीन एच.टी उपभोक्ताओं के मीटर चार से 16 माह (सितम्बर 2011) तक की अवधि में त्रुटिपूर्ण था।

प्रतिभूति जमा राशि का न्यून प्रभार

5.2.29 महीली मई 2010 से लागू वर्ष 2010-11 के लिए ऐश्र के अनुसार ऐश्र, संविद्ध माँग, स्वीकृत भार, भार कारक इत्यादि के आधार पर वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा उपभोक्ताओं का प्रतिभूति जमा राशि का आकलन किया जाना था। टैरिफ लागू होने के दो माह के पश्चात 30 जून 2010 को बोर्ड ने प्रतिभूति जमा राशि के निर्धारण हेतु आदेश जारी किया। हमने यह पाया कि नमूना जाँच किए गए 19 उप-प्रमण्डलों में सात माह तक के विलम्ब के पश्चात नए दर पर प्रतिभूति जमा राशि की वसूली की शुरुआत की गई। अतः, 4223 नए उपभोक्ताओं के संबंध में ₹ 49.09 लाख की प्रतिभूति जमा राशि की वसूली नहीं हो गई।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2011)।

²⁸ लोयाबाद, धनबाद तथा चाईबासा।

अनुबंधित माँग से अधिक के लिए अधिभार की न-उगाही

5.2.30 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड टैरिफ 1993 की 16.5 खंड के अनुसार जिसे जे. एस.ई.आर.सी. विद्युत अधिनियम 2003 के द्वारा अमनाया गया था, इसके तहत अगर एक वित्तीय वर्ष के किसी भी महीने के दौरान वास्तविक अधिकतम उपभोक्ता माँग, अनुबंध माँग से 110 प्रतिशत बढ़ जाती है (जो बाद में 115 प्रतिशत कर दिया गया) तो इस प्रकार प्राप्त उच्चतम उपभोक्ता माँग को ही वित्तीय वर्ष के लिए अनुबंध माँग माना जाएगा और विपत्तिकरण तदनुसार किया जाएगा। तीन आपूर्ति अंचलों²⁹ से सम्बन्धित 13 सेवा संयोजनों के एच.टी. विपत्तियों के नमूना जाँच पर हमने पाया कि बोर्ड ₹ 19.88 लाख का अधिभार लेवी भारत करने में विफल रही, जिसकी माँग 2008-09 और 2009-10 के दौरान उसके अनुबंध माँग के 115 प्रतिशत से अधिक थी।

बोर्ड ने इस संबंध में कोई भी स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

राजस्व संग्रहण दक्षता

5.2.31 ऊर्जा की बिक्री से राजस्व के रूप में प्राप्त आय बोर्ड की आय का मुख्य श्रोत है, साथ ही राजस्व का शीघ्र संग्रह अपना विशेष महत्व रखती है। जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा जे.एस.ई.आर.सी. वितरण अधिनियम 2010 में 100 प्रतिशत संग्रहण दक्षता का लक्ष्य रखा था। इसमें विपत्तिकृत ऊर्जा बिल के संग्रहण की जिम्मेदारी बोर्ड की थी और अगर ऐसा करने में बोर्ड विफल रहे तो इसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी अदक्षता के लिए उपभोक्ताओं को दोषी ठहराएँ।

तालिका-21 में 2010-11 में अन्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में बकाये शेष, वर्ष के दौरान आकलित राजस्व, वसूला गया राजस्व तथा वर्ष के अन्त में बकाये राशि को दर्शाया गया है।

तालिका-21

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्योरा	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (नवम्बर 2010 तक)
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेष	3885.46	4252.73	3576.73	3901.81	3337.12
2	वर्ष के दौरान आकलित/विपत्तिकृत राजस्व	1536.93	1553.57	1691.57	1788.12	1285.73
3	वसूली के लिए कुल राशि (1 +2)	5422.39	5806.30	5268.29	5689.93	4642.85
4	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	1178.42	1834.39	1339.94	1492.44	1139.88
5	पूर्व अवधि समायोजन तथा अन्य समायोजन की राशि	(-)8.56	395.18	26.54	6.95	-
6	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	4252.73	3576.73	3901.81	3337.12	3482.92
7	कुल राशि पर वसूली गई राशि की प्राप्ति (4/3)	22	32	25	26	25
8	आकलित महीनों की संख्या के रूप में बकाये	33	28	28	22	22

²⁹ लोयाबाद, धनबाद तथा चाईबासा।

उपरोक्त ब्यौरा से हम ने प्रया कि वर्ष 2007-08 में झारखण्ड सरकार के बकाया राशि के विरुद्ध बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई ₹ 526 करोड़ की एकमुस्त निपटान को छोड़कर वर्षों के भ्रष्ट वसूली गई राशि आकलित राशि से कम थी। आकलित महीनों की संख्या के रूप में बकाये 2006-07 में 33 माह से कम होकर 2010-11 में 22 माह हो गई। इसके अलावा, राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित अवलोकन किये गए।

एक नमूना जाँच किये गए अंचल (धनबाद) में ₹ 151.93 करोड़ (मार्च 2011) एच.टी. उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाये थे, जिसमें से ₹ 100.68 करोड़ सम्बन्ध-विच्छेदित एच.टी. उपभोक्ताओं से बकाये थे जिनका सम्बन्ध-विच्छेदन हुए तीन वर्ष से अधिक हो गया था। हमने पाया कि इन उपभोक्ताओं पर बकाया ₹ 32.85 करोड़ विभिन्न विवादास्पद सॉफ्टवेयर मामलों में शामिल थे। राशि की त्वरित वसूली के लिए बोर्ड को मामलों के निष्पन्न के लिए अनुवर्ति कार्रवाई करनी चाहिए।

नमूना जाँच किये गए तीन अंचलों में 31 मार्च 2011 को बकाये राशि की आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि तीन वर्षों से अधिक व्यक्तिगत बकाये जो ₹ 10,000 या इससे अधिक के थे जो 2335 एल.टी. उपभोक्ताओं से सम्बन्धित ₹ 21.96 करोड़ की राशि बकाया थी। बोर्ड को बकाया राशि का अनुश्रवण प्रभावशाली रूप से तथा उनकी वसूली की अनुवर्ति कार्रवाई करनी चाहिए।

दो आपूर्ति प्रमण्डलों³⁰ में लाइन विच्छेदित उपभोक्ताओं के विश्लेषण से हमने यह देखा कि 89 उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 23.01 लाख बकाया थे जिनके नाम और पता उपभोक्ता बही में अंकित नहीं थे। इस राशि की वसूली की संभावना न्यून है, क्योंकि मामलों में विच्छेदित उपभोक्ताओं को पीछा नहीं किया जा रहा है।

सरकारी विभागों/उपक्रमों के विरुद्ध बकाया राशि की गलत गणना के कारण ₹ 395.17 करोड़ राशि की वसूली नहीं हो पायी।

- 31.03.2007 को सरकारी विभागों/उपक्रमों के उपभोक्ताओं का बोर्ड द्वारा आकलित ऊर्जा बकाया ₹ 928.64 करोड़ (ऊर्जा बकाया ₹ 525.92 करोड़ तथा विलम्बित भुगतान प्रभार (डी.पी.एस.) ₹ 402.72 करोड़) था। झारखण्ड सरकार ने 31. मार्च 2007 तक के सभी बकाये ₹ 526 करोड़ एकमुस्त निष्पन्न के रूप में भुगतान किया तथा ₹ 402.72 करोड़ की डी.पी.एस. राशि बोर्ड द्वारा अधित्याग किया गया। हमने यह देखा कि बोर्ड ने तेनुघाट डैम (₹ 193.59 करोड़) एम.ए.ईए. (₹ 140.39 करोड़) तथा अन्य सरकारी उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाये (₹ 61.19 करोड़) की ₹ 395.17 करोड़ राशि को बकाये की गणना में विचार नहीं किया। इन बकायों में सम्मिलित विद्युत प्रभार के ₹ 323.12 करोड़ तथा डी.पी.एस. के ₹ 72.05 करोड़ एकमुस्त निपटान के बाद भी बकाया रह गए।

आगे, निपटारे की योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा सभी पुराने सरकारी कनेक्शन को नये मीटर तथा नये उपभोक्ता संख्या से बदलना था, जिससे की नियमित रूप से राख सरकार के विभागों/उपक्रमों से ऋण विपरीत की वसूली के लिए अप्रैल 2007 से नए रूप से विपत्रीकरण शुरू की जा सके। तथापि, बोर्ड ने योजना के अनुसार कदम नहीं उठाए तथा पूर्व की तरह

³⁰ नई राजधानी, राँची तथा डोरण्डा विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल।

बकायों का बढ़ना जारी रहा। 31 अगस्त 2010 को बकाया राशि बढ़कर ₹ 606 करोड़ (मार्च 2007 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित बकाये की ₹ 395.17 करोड़ सहित) हो गई। झारखण्ड सरकार ने अपने सभी बकायों के विरुद्ध केवल ₹ 100 करोड़ का भुगतान एकमुस्त निपटान की राशि मानते हुए कर दिया। बोर्ड ने तथापि इसे नहीं माना तथा शेष ₹ 506 करोड़ भुगतान करने के लिए निवेद किया। इस सम्बन्ध में अबतक कोई भुगतान नहीं किया गया है (अक्टूबर 2011)।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि राज्य सरकार के विभागों से बकाया की वसूली के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

बकाये राशि रखने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सम्बन्ध विच्छेद करने में विफलता

5.2.32 फ़ैस.ई.आर.सी. के विद्युत आपूर्ति नियमावली 2005 के अनुसार विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा। नमूना जाँच किए गए पाँच अंचलों में हमने प्रयास किया कि ₹ 10,000 से अधिक बकाया तथा ₹ 93.16 करोड़ के संचयी बकाये वाले 17253 एल.टी. उपभोक्ताओं का विद्युत सम्बन्ध, प्रतिभूति जमा राशि से बकाया राशि अधिक होने के बावजूद विच्छेद नहीं किया गया। इसमें से 7936 उपभोक्ताओं से सम्बन्धित ₹ 53.46 करोड़ की बकाया राशि एक साल से अधिक तक बकाया थी। यह इंगित करता है कि विद्युत बकायों के प्रभावशाली वसूली के लिए नियमानुसार तत्काल कदम नहीं उठाए गए।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि चूककर्ता उपभोक्ताओं के विद्युत विच्छेदन का अनुश्रवण शुरू किया गया है तथा उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान उपभोक्ताओं से बकाये की वसूली तीन/चार माह के अन्तर्गत उनके लाइन के विच्छेदन के द्वारा की जाएगी।

चेक के भुनाने में विलम्ब/न भुनाया जाना

बैंक में ₹ 4.33 करोड़ की राशि के चेक जमा करने में विफलता के कारण राजस्व बिना वसूले रह गये और ₹ 1.55 करोड़ की ब्याज राशि का नुकसान हुआ।

5.2.33 विद्युत आपूर्ति उप-प्रमण्डल (झुमरीतिलैया) में हमने यह पाया कि सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान एक एच.टी. उपभोक्ता से प्राप्त ₹ 4.33 करोड़ राशि के 22 चेक को बैंक में जमा नहीं किया गया तथा खजाँची के संरक्षण में ही रह गया (जनवरी 2009)। इसमें से ₹ 2.06 करोड़ मूल्य के 15 चेकों की मान्यता तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। शेष ₹ 2.27 करोड़ के सात चेक को मान्यता तिथि के अन्तिम दि ही जमा किया गया लेकिन वे सभी चेक अनादृत हो गये और राशि की वसूली नहीं हो पाई (फरवरी 2011)। प्रमण्डल/अंचल स्तर पर बोर्ड के खाते में ससमय राशि संग्रहण की उचित निगरानी न होने के कारण चेक के न जमा होने वाली छद्म और ₹ 4.33 करोड़ बिना वसूले रह गये परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

अनादृत चेक

5.2.34 ज़े.एस.ई.आर.सी. के विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के खंड 1.6.6 के अनुसार, यदि उपभोक्ता का चेक अनादृत हो जाता है तो इसे भुगतान न करने का मामला समझ कर विद्युत विच्छेदन कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उसके बाद ऐसे उपभोक्ता को चेक के माध्यम से भुगतान की सुविधा एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती है। हमने जमशेदपुर अंचल के आदित्यपुर उप-प्रमण्डल-II में देखा कि एक हाई टेंशन विशेष सेवा (एच.टि.एस.एस.) उपभोक्ता (के.वाई.एस. विनिर्माण और आयात उपभोक्ता सं. एच. जे.पी.-144) द्वारा ऊर्जा बिल का भुगतान चेकों द्वारा किया जा रहा था। मई 2006 से नवम्बर 2010 के दौरान जमा किए गए चेकों को बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया जो बाद में बैंक को प्रस्तुत किए गए और 9 से 41 दिनों के विलम्ब के बाद बोर्ड के खाते में जमा हुए। बोर्ड को चाहिए था कि वह उपभोक्ता से भविष्य के बिलों का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ले, जिसको लागू नहीं किया गया। हमने यह भी देखा कि मई 2006 से नवम्बर 2010 तक ₹ 15.20 लाख राशि का डी.पी.एस. को वसूला नहीं किया गया यद्यपि, ऊर्जा देय की वसूली में देरी हुई। बल्कि समय पर भुगतान करने के ₹ 1.87 लाख राशि की छूट बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को दी गई, परिणामस्वरूप बोर्ड को ₹ 17.07 लाख का नुकसान हुआ।

हमने देखा कि दो विद्युत आपूर्ति अंचलों (लोयाबाद और चाईबासा) में दो उपभोक्ताओं (रेणुका इस्मत लिमिटेड(पि) एच.टि.एस.एस. उपभोक्ता सं. के.टि 1719 और नोवा धनु उपभोक्ता सं. एच.एन. 17) के पाँच राजस्व चेक अनादृत हुए। जो बाद में चेक द्वारा भुगतान किये गये। ऊर्जा बिल के भुगतान में देरी के बावजूद, उपभोक्ता को समय पर भुगतान छूट, लोड कारक छूट की अनुमति के अलावा डी.पी.एस. नहीं लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को ₹ 7.24 लाख का नुकसान हुआ।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि सम्बन्धित विद्युत अधीक्षण अभियंता से रिपोर्ट माँगी गई थी।

काल-बाधित के कारण राजस्व की वसूली न होना

₹ 53.55 करोड़ के कुल ऊर्जा बकाये का काल-बाधित हो जाना।

5.2.35 सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अनुसार, किसी भी विद्युत मूल्य की वसूली के लिए तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद शुरू मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम 2003 के अनुभाग 56 (2) के अनुसार, होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद किसी भी उपभोक्ता से किसी भी राशि की वसूली नहीं हो सकती। उपभोक्ताओं के मामले में, जिनकी विद्युत आपूर्ति ऊर्जा बकाया के गैर भुगतान के कारण विच्छेद कर दी गई है, विच्छेदन की तारीख से तीन वर्ष से भीतर वसूली प्रमाण पत्र को तुरंत दायर किया जाना चाहिए ताकि बकाया राशि कालवर्जित न बन जाए। तीन अंचलों³¹ की नमूना जाँच में हमने अवलोकन किया कि बोर्ड द्वारा 29,287 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति लाईन विच्छेदन कर दी गई। हालांकि, कानूनी कार्यवाही सीमा अवधि के दौरान नहीं

³¹ धनबाद, लोयाबाद और चाईबासा आपूर्ति अंचल।

किए गए, जिसके कारण ₹ 53.55 करोड़³² की कुल बकाया राशि अवसूलनीय हो गई।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा विवाद को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2011) कि अब हर संभव प्रयासों द्वारा ससमय सर्टिफिकेट मामले दायर किया जा रहा है।

वित्तीय प्रबंधन

5.2.36 दक्ष निधि प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और अनुकूल शर्तों पर उचित समय में उधार लेने के निर्णय लेने का एक उपकरण है। बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन में राजस्व संग्रहण, विपत्रीकरण, उधार, अनुदान, धन के हस्तांतरण, ब्याज की वसूली/भुगतान, ऋण के पुनर्गठन, जमा प्रतिभूति, बैंक समाधान और अन्य संबंधित लेन-देन शामिल हैं।

2009-10 के अंत में बोर्ड का उपभोक्ताओं के खिलाफ ₹ 3,337.12 करोड़ की बकाया राशि थी, दूसरी तरफ बोर्ड विद्युत क्रय के विपत्रों के भुगतान के लिए बैंकों से ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर रहा था। वर्ष 2009-10 के अंत में ₹ 73.92 करोड़ की बैंक ओवरड्राफ्ट राशि थी, जिस पर ब्याज के रूप में ₹ 3.67 करोड़ की राशि भुगतान की गई।

प्रेषण में विलंब

बोर्ड के उप-प्रमण्डल में दैनिक संग्रहण को निर्दिष्ट बैंक शाखाओं की गैर संचालित खाते में जमा कर दिया जाता था जहाँ से बोर्ड के संग्रह खाते में जमा हो जाता था। एक लाख रुपये से अधिक के दैनिक संग्रहण होने की स्थिति में निधि को दैनिक आधार पर प्रधान कार्यालय खाते में हस्तांतरित किया जाना है। प्रेषण में देरी के मामले में बोर्ड बैंक से निर्धारित दर पर ब्याज का हकदार था। उप-प्रमण्डल (घाटशीला) के नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 55.48 करोड़ के राजस्व चेक बैंक में जमा किए गए जिनका मुख्यालय खाते में प्रेषित करने में 1 से 57 दिनों की देरी हुई, परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में बोर्ड को ₹ 13.53 लाख का नुकसान हुआ। बोर्ड ने बैंकों से ब्याज का दावा नहीं किया है।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से दैनिक आधार पर निधि के प्रेषण की बात बैंकों के साथ की गई थी।

सब्सिडी सहायता एवं प्रति सब्सिडी सहायता

5.2.37 ऊर्जा क्षेत्र को स्थायी बनाने के लिए उपभोक्ताओं से सेवा की लागत की वसूली सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। शुल्क की रियायती हों पर विशिष्ट वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है।

सब्सिडी सहायता

5.2.38 संगत तरीके से विद्युत लागत की वसूली, शुल्क निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। अधिनियम, राष सरकार को स्वनिर्णय लेने का अधिकार देता

³² लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 में सूचित राशि को छोड़कर।

है जिसके तहत राष् विद्घन विनियामक आयोग ढ्हा निर्घरित शुल्क में उड्भोक्ता या उपड्भोक्ताओं के वर्ग के लिए सड्बिडी ड्दान करता है, जो कि राज्य सरकार ढ्द्वारा अग्रिम में ड्भुगतान करने की ढ्दर है।व र्ष 2003-04 के शुल्क ओढ्द के अनुसार, ढ्दर.ई.आर. सी. ने विद्घन आड्ूर्ति की औसत लागत का 63 से 86 ढ्दरतिशत तक सड्बिडी के रूप में ढ्देलू उड्भोक्ताओं, ढ्दरिड्दलाइट्गैर ढ्देलू-, सिंचाई एवं कृ ष सेवाओं को ड्दान की और झारखण्ड सरकार को सड्बिडी के ड्भुगतान के लिए निर्देशित किया। तदनुसार, बोर्ड ने ₹ 40 करोड़ का दावा ड्देश किया जो अब तक झारखण्ड सरकार ढ्द्वारा ड्भुगतान नहीं किया गया था। बोर्ड ढ्द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान सड्बिडी का दावा नहीं किया गया था। ढ्द्वारी ओर झारखण्डसरकार ढ्द्वारा व र्ष 2006-07 से 2010-11 के ढ्दरान साढ्द के अड्भाव के ढ्दरमें ₹ 967.27 करोड़ विद्घन ढ्दरय के ड्भुगतान, कर्मचारियों को ड्भुगतान आदि ढ्दरवरियों के विढ्दों ढ्दरि गई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि साधन के अड्भाव के रूप में झारखण्ड सरकार ढ्द्वारा ड्दान राशि अनिवार्य आवश्यकता जैसे विद्युत ढ्दरय और ग्रामीण खपत में वृद्धि को ड्दुरा करने के लिए ढ्दिया गया। यह भी कहा गया कि बोर्ड को घरेलू, ग्रामीण और शहरी उपड्भोक्ताओं के साथ साथ सिंचाई एवं कृ ष संबधों में सड्बिडी की जरूरत थी।

ढ्दरति सड्बिडी सहायता

5.2.39 विद्घन अधिनियम 2003 की ढ्दर 61 (ढ्दरि) यह उल्लेख करता है कि आड्ूर्ति की औसत लागत (ए.सी.ओ.एस.) को शुल्क के उल्लोढ्द ढ्दरवर्तित करना चाहिए और आड्योग एक निर्दिष्ट अवधि के ड्भितर ढ्दरति सड्बिडी सहायता को कम करे ढ्दरता है।रा ढ्दरिष्ट शुल्क नीति में ढ्दरिक्लित है कि व र्ष 2010-11 तक उड्भोक्ता की सभी श्रेणियों के शुल्क को ए.सी.ओ.एस. के 20 ढ्दरतिशत ढ्दरस या माईनस की सीमा में रखा ढ्दरना चाहिए।व र्ष 2010-11 के दौरान, विड्भिन्न ढ्दरेत्रों में ढ्दरति सड्बिडी सहायता की स्थिति तालिका-22 में ढ्दरिखाया गया है:

तालिका-22

ढ्दरौरा	2010-11	
आड्ूर्ति की औसत लागत (ए.सी.ओ.एस.) ढ्दरसे ढ्दरति ईकाई	357	
	ढ्दरसे ढ्दरति ईकाई	ए.सी.ओ.एस. का ढ्दरतिशत
ढ्देलू	137	38.37
गैर-ढ्देलू	442	123.81
निड्मन-विड्भव	521	145.94
सिंचाई एवं कृ षि	73	20.45
उच्च विड्भव सेवा	451	126.33
सार्वढ्दरनिक ढ्दरल कार्य	451	126.33
रेलवे ढ्दरकेशन	497	139.22
ढ्दरिड्दलाइट्सेवा	124	34.73
सैन्य इंढ्दरिनियरिंग सेवा	276	77.31

तालिका-22 से ढ्दरिखा ढ्दर सकता है कि व र्ष 2010-11 के ढ्दरान ढ्देलू सिंचाई एवं कृ षि, स्ट्रीट लाइट सेवा और सैन्य इंढ्दरिनियरिंग सेवा उपड्भोक्ताओं के संबध में औसत राजस्व, ए.सी.ओ.एस. से 23 से 80 ढ्दरिसेड्द तक कम था।व र्ष 2010-11 के ढ्दरान गैर ढ्देलू,

निम्न विभव, उच्च विभव सेवा, सार्वजनिक मूल कार्य और रेलवे ष्ट्र्शन उम्भोक्ताओं के संबंध में औसत राजस्व एस.सी.ओ.एस. से 24 से 46 फीसदी तक अधिक थी। इस प्रकार, उम्भोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के तहत शुल्क निर्धारण में अंतर ए.सी.ओ.एस. के हिसाब या मार्गनस 20 फीसदी से षादथा षिसे लेखापरीक्ष व षर्षों के दौरान घटाया नहीं गया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा अस्थायी लेखों के आधार पर शुल्क निर्धारण किए गए थे जो बोर्ड लेखापरीक्षित लेखे के आधार पर सही किया जाना है और सब्सिडी सहायता एवं प्रति सब्सिडी सहायता तदनुसार तय किये जायेंगे।

शुल्क निर्धारण

5.2.40 बोर्ड की आर्थिक व्यवहार्यता, कार्यकलापों द्वारा उत्पादित अधिशेष (उचित वाम्सी सहित) पर निर्भर करती है षिसेके ह्वा परिचालन आवश्यकताओं और भवि ष्य में षूँगत विस्तार योजना को व्यवहार कुशल आर्थिक अभ्यास अम्नाकर विषप्रे षत किया ष सकता है। बोर्ड द्वारा राजस्व वसूली कोष उत्पादन का मुख्य स्रोत है। राजस्व वसूली से संबंधित दूसरे पहलू पर विचार विमर्श षूर्वगामी कंडिकाओं में किया गया है, शुल्क से संबन्धित षहलूओं पर विचार नीचे किया गया है:

बोर्ड को हर वर्ष, ए.आर.आर. प्रत्येक आने वाले वित्तीय वर्ष से 120 दि षहले ह्पर करना था। जे.एस.ई.आर.सी. उचित संशोद्धों/शर्तों और लोक षन और षूँदरे ष्पन्नरियों के सभी सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखकर कम्पनी ह्वा ह्पर आवेद को स्वीकार करती है। जे.एस.ई.आर.सी. ने षहला शुल्क ओद्धा वित्तीय व षर्ष 2003-04 के लिए निर्गत किया, उसके बाद शुल्क आदेश वित्तीय वर्ष 2006-07 में अगस्त माह में निर्गत किया। चूँकि 2006-07 वर्ष का शुल्क आदेश बोर्ड के लिए अनुकूल नहीं था जिसके कारण बोर्ड ने विद्युत अपील न्यायाधिकरण (एपटेल) में अपील दायर की। एपटेल ने (मई 2008) प्राधिकरण को दूबारा समस्त शुल्क निर्धारण अभियान को देखने के लिए कहा जिसके अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने को कहा। चूँकि, बोर्ड लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहा, जे.एस.ई.आर.सी. ने शुल्क आवेदन अस्वीकार किया। इन्ही कारणों से जे.एस.ई.आर.सी. ने व षर्ष 2007-08 और 2008-09 का ए.आर.आर. तथा वर्ष 2008-09 के लिए शुल्क आवेदन अस्वीकार कर दिया। जे.एस.ई.आर.सी. ने (अप्रैल 2010) स्वप्रेरणा से वर्ष 2010-11 के लिए शुल्क ओद्धा षस किया तथा व षर्ष 2003-04 से 2008-09 तक का ए.आर.आर. अस्थायी रूप से स्वीकार किया। बोर्ड द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक का लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण जे.एस.ई.आर.सी. ह्वा उक्त व षर्षों का शुल्क आदेश का निर्धारण पूरा नहीं किया गया।

बोर्ड ने माना (अक्टूबर 2011) कि शुल्क आवेदन को नियत समय में प्रस्तुत न करने का कारण बोर्ड और बी.एस.ई.बी. के बीच परिसम्पत्ति और देयता के निपटारे का समझौता नहीं होने के कारण वार्षिक लेखे का अन्तिम रूप से तैयार नहीं कर पाना था।

यद्यपि, हमने अवलोकन किया कि परिसंपत्ति और देयता का षँटवारा बोर्ड और भूतपूर्व बी. एस.ई.बी. में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2004 में अधिसूचित किया गया। षिरे भी व षर्ष 2001-02 का लेखा जो जून 2005 में अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया

उसमें प्रारंभिक शेष, ऊर्जा मंत्रालय के अधिसूचना के अनुरूप नहीं था। बोर्ड ने (मई 2008) निर्णय लिया कि लेखों को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अवशेष को लेकर सुधारा प्रयत्न। लेखे दिसम्बर 2009 में सी.ए.जी. अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए, जिस पर पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) अगस्त 2010 में निर्गत किए गए। इस प्रकार वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखों को तैयार करने में अन्यायसंगत सात वर्षों का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, 2002-03 से 2009-10 तक के वार्षिक लेखे सी.ए.जी. अंकेक्षण के लिए अप्रैल 2010 से जनवरी 2011 के दौरान प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2005-06 तक के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण हुआ।

टैरिफ का संशोधन न होने के कारण, बोर्ड द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 के ष्टान उभोक्ताओं को ळआपूर्ति व र्ष 2003-04 के शुल्क पर की गई, जिसके कारण बोर्ड के क्रियाशील पूँजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विस्तृत विश्लेषण से उद्घति हुआ कि शुल्क, परिवर्ती लागतों को वसूलने में भी पर्याप्त नहीं था जैसा कि तालिका-23 में ळियाया गया है:

तालिका-23

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विक्रय (सब्सिडी छोड़कर)	परिवर्तनीय लागत	योगदान
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
2006-07	1406.96	1667.41	(260.45)
2007-08	1391.23	1806.50	(415.27)
2008-09	1584.91	1995.94	(411.03)
2009-10	1634.37	2141.61	(507.24)

हालांकि, लागत की वसूली न होने का एक कारण निम्न शुल्क बना, जो वर्ष 2004-05 से 2009-10 के ष्टान असंशोद्धि शुल्क के कारण हुआ, ळिसे परिचालन कुशलता ळा ळिसे ए.टी. एण्ड सी. हानि में कमी/नियंत्रण, बिना मीटर उपभोक्ताओं का मीट्रिंग त्रुटिपूर्ण मीटरों का बदलना, विपत्र एवं वसूली क्षमता में सुधार, इत्यादि, द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था, जिनके बारे में समीक्षा में पहले ही विचार विमर्श किया जा चुका है।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के अवधि को शुल्क में राळव ष्ट तालिका-24 में ळियाया गया है:

तालिका-24

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	2006-07	2007-08	2008-09
वार्षिक राळव आवश्यकता	2902	3142	3651
राळव 2003-04 के वर्तमान शुल्क की दर ळिमें अनुळ, साळन के अभाव के ळमें शामिल है	2171	1482	1603
राळव ष्ट	731	1660	2048
ळएस.ई.आर.सी. ळा स्वीकृत राळव ष्ट	390	382	389

बोर्ड द्वारा वर्ष 2006-07 से 2008-09 के ष्टान के ए.आर.आर. के अनुसार राळव ष्ट ₹ 4439 करोड़ का था, ळिमें से सिर्फ ₹ 1,161 करोड़ का ही राळव ष्ट ळे एस.ई.आर.सी. ळा स्वीकृत किया गया। अतः ₹ 3278 करोड़ की राळव आवश्यकता अच्छादित रह गई।

हमने अवलोकन किया कि जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा निम्नलिखित खर्चों को बोर्ड की अदक्षता से उत्पन्न लागत मानते हुए अनुमोदित नहीं किया था:

- वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान ₹ 550.82 करोड़ बोर्ड के वाषिष्ठ चालित संयंत्र (मि.टि.पी.एस.) द्वारा अक्षमपूर्ण विद्युत् उत्पन्न की लागत।
- अत्यधिक संचरण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 1769.85 करोड़।
- वर्ष 2006-07 से 2008-09 में प्रतिपूर्ति एवं अनुरक्षण में ₹ 66.58 करोड़ और ब्याज/विद्युत् परिव्यय के रूप में ₹ 298.34 करोड़ वर्ष 2007-08 में तथा ₹ 496.13 करोड़ 2008-09 में खर्च।

उपभोक्ता संतुष्टी

5.2.41 ऋण में सुधरीकरण का मुख्य ऋण उपभोक्ता के अधिकार का संरक्षण तथा उनको उन्नत कोटि की सेवाओं का सुनिश्चितीकरण था। उपभोक्ता, प्रायः विद्युत् आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। बोर्ड को अनुकूल कार्यवाई शुरू करना चाहिए था ताकि उपभोक्ताओं का सन्तोष बढ़ सके और उनके शिकायतों का प्रादुर्भाव कम हो सके। विधिकरण विषय पर विचार विमर्श पहले ही पूर्वगामी कक्षाओं में की गई है। शिकायतों के निष्ठा पर विचार विमर्श नीचे किया गया है:

शिकायतों का निवारण

5.2.42 जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा विधि एवं समय सीमा में शिकायतों के निवारण से सम्बंधित है वह जे.एस.ई.आर.सी. (वितरणी लाइसेंस का निष्पन्न मानक) अधिनियम, 2005 जिसमें विद्युत् अधिनियम, 2003 का अनुसरण किया गया था, द्वारा उल्लेखित था। आयोग द्वारा निर्धारित निष्पादन मानक जिसके तहत बोर्ड को समय सीमा में सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा समय सीमा न प्रलन करने की स्थिति में प्रतिपूर्ति का भी निर्धारण था। सेवाओं की प्रकृति के अन्य बातों के साथ-साथ, लाइन का बिगड़ना, वितरणी ट्रांसफोरमर का बिगड़ना, भार छोड़ने/नियत की अवधि/वोल्टेज में विभिन्नता, मीटर से संबंधित शिकायतों, नए मीटरों का लगाना या बदलना, इत्यादि घटनायें मानकों में उल्लेखित थीं।

जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए जारी शुल्क आदेश में बोर्ड को निर्देशित था कि वह निष्पन्न मानक (एस.ओ.पी.) को जनवरी 2008 तक लागू करे एवं असफल होने पर सभी श्रेणियों के लिए ऊर्जा प्रभार में 2.5 प्रतिशत की कमी का प्रावधान जनवरी 2008 से रखे। चूंकि, बोर्ड ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था, अतः जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के लिए ₹ 68.42 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। यद्यपि, बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि विभिन्न निष्पन्न मानक (एस.ओ.पी.) जैसे ह्यूजकॉल सेंटर की स्थापना और शिकायतों का कम्प्यूरीकृत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली, ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन, निर्दिष्टसमय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों का हल इत्यादि और यह भी कहा गया कि किसी भी

उपभोक्ता द्वारा किसी भी मानकों की गैर अनुपालन के लिए दावा नहीं किया गया न ही बोर्ड द्वारा किसी विफलता के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया। निष्पक्ष मानकों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, जे.एस.ई.आर.सी. ने अपने शुल्क ओझा वर्ष 2011-12 के लिए अनुवर्ती वर्षों में कोई जुर्माना नहीं लगाया था, हालांकि बोर्ड को ₹ 68.42 करोड़ का जुर्माना वापस नहीं किया।

नये सेवा के संयोजन निर्गत में विलंब

5.2.43 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 (3) के अनुसार हर वितरण लाइसेंसिधारी को किसी भी परिसर के भू-स्वामी द्वारा विद्युत आपूर्ति आवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर परिसर में विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए। यदि लाइसेंसिधारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति में विफल रहता है तो वह आवेदकों/उपभोक्ताओं को नुकसान भुगतान करने के लिए दायी होगा जिसका विस्तार प्रत्येक दिन के लिए ₹ एक हज़ार तक हो सकता है।

2006-07 से 2010-11 के दौरान बोर्ड के 15 उप-प्रमंडलों में एल.टी. आवेदनों की संख्या के साथ-साथ निर्गत संयोजन की स्थिति तालिका-25 में दर्शाई है:

तालिका-25

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	31 मार्च 2011 तक दिए गए संयोजन	31 मार्च 2011 तक लंबित आवेदनों
2006-07	32263	22179	10084
2007-08	30438	21370	9068
2008-09	33652	25075	8577
2009-10	33897	23252	10645
2010-11	49517	19127	30390
कुल	179767	111003	68764

2006-07 से 2010-11 के दौरान 62 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही विद्युत संयोजन निर्गत किये गये।

तालिका-25 से देखा जा सकता है कि पाँच वर्षों के दौरान कुल प्राप्त आवेदनों के 62 प्रतिशत को ही सेवा संयोजन दिए गए तथा 68,764 आवेदन 31 मार्च 2011 तक लंबित पड़े रहे। जे.एस.ई.आर.सी. का मानना था कि बोर्ड के पास एक ऐसी मजबूत प्रणाली नहीं थी जो यह सुनिश्चित करें कि जैसे उपभोक्ताओं जिन्हें समय पर नए संयोजन प्राप्त नहीं हुए, वे हकिंग द्वारा ऊर्जा की चोरी का सहारा नहीं ले रहे थे। ऐसे में आवेदकों द्वारा उस अवधि में जबकि उन्हें सेवा संयोजन प्राप्त नहीं कराये गये थे, ऊर्जा चोरी की हर संभावना हो सकती थी।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2011) कि एच.टी./एल.टी. लाइनों का विस्तार, वितरण ट्रांसफोरमर की स्थापना तथा मीटर की अनुपलब्धता जैसी बाधाओं के कारण नये संयोजन के आवेदन लंबित थे। बोर्ड का जबाव स्वीकार्य नहीं है जैसा कि 10,084 आवेदकों को संयोजन नहीं दिए गए पाँच वर्षों से लंबित थे।

5.2.44 हमने यह भी देखा कि बोर्ड को नये एच.टी. संयोजन के लिए आवेदन, जल एवं स्वच्छता विभाग, जमशेदपुर और मल्टी खनिज प्रसंस्करण लिमिटेड, धनबाद द्वारा क्रमशः फरवरी 2008 और सितम्बर 2008 में मिले। इन आवेदनों के संबंध में लोड स्वीकृति/

विद्युतिकरण मई 2010 तथा अक्टूबर 2009 में हुई यानि क्रमशः 22 महीने तथा 8 महीने की ढ़ी से हुई, ष्मिकी वाह से न्यूनतम मासिक शुल्क के ष्मं ₹ 64.50 लाख की हानि हुई। नये संयोजन प्रदान करने में देरी के लिए बोर्ड द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।

शिकायतों का निपटान

5.2.45 जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा बोर्ड को निर्देश दिया गया (अप्रैल 2010) कि वह छः महीने के भीतर ष्मिनी स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र को लागू करें तथा जे.एस.ई.आर.सी. को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। हालांकि, ऐसी कोई व्यवस्था बोर्ड द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है।

शिकायतों की प्राप्ति और उनके निपटान की समग्र स्थिति तालिका-26 में ष्मियाया गया है:

तालिका-26

क्र.सं.	ब्यौरे	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	कुल मिली शिकायतें	66	55	24	18	53
2.	समय के भीतर निवारित शिकायतें	36	18	04	04	09
3.	समय से ष्मे निवारित शिकायतें	30	37	20	14	44
4.	समय से ष्मे निवारित शिकायतों का कुल मिली शिकायतों का प्रतिशतता	45	67	83	78	83

तालिका-26 से देखा जा सकता है कि शिकायतों का निपटान में तेजी नहीं थी जैसा कि वर्ष भर में कुल मिली शिकायतों का 45 से 83 प्रतिशत तक का समय से ष्मे निवारण किया गया। हालांकि, इस संबंध में उपभोक्ताओं को कोई मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया।

शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण

5.2.46 कम्पनी राष की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी संगठन के मितव्ययित, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से सफल संचालन के लिए अच्छा प्रलेखित संचालन प्रबंधन प्रणाली, सेवा मानक और लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा, एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) भी होना चाहिए जो लक्ष्यों और मानदण्डों की उपलब्धि को प्रतिवेदित करे। कमियों को पता लगाने और संगठन को आत्म निर्भर बनाने के लिए अनुवर्ति अवधियों के लिए लक्ष्यों के निर्धारण के लिए उपलब्धी की संवीक्षा की जरूरत है।

इस संबंध में हमने निम्नलिखित अवलोकन किया:

- बोर्ड के पास बुनियादी वितरण ढाँचे के निर्माण के लिए न ही कोई दीर्घकालीन योजना थी और न ही वार्षिक योजना को उसी व र्ष पूरी तरह से लागू किया गया।
- शीर्ष स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु वितरण नेटवर्क पर एक विश्वसनीय और व्यापक एम.आई.एस. अस्तित्व में नहीं था तथा डाटा संचयन के लिए बोर्ड को बार-बार क्षेत्रीय ईकाइयों से डाटा संग्रहण करना पड़ा था।
- राजस्व संग्रहण की मासिक स्थिति बताने के लिए बोर्ड की अपनी प्रणाली है। हालांकि, आपूर्ति उप-प्रमण्डल द्वारा राजस्व संग्रहण का बोर्ड खाते में प्रेषण पर मुख्यालय स्तर

पर कोई निगरानी नहीं थी परिणामस्वरूप दैनिक संग्रहण का बोर्ड के खाते में विलंब से प्रेषण, उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व चेक का अनादरण की घटनायें काफी दिनों तक जानकारी में नहीं आई। यह एम.आई.एस. के पालन में कमी का संकेत देता है।

- सरकार/बोर्ड स्तर पर अनुश्रवण की कमी और शीघ्र निर्णय लेने में विफलता के कारण, बोर्ड परिसंपत्तियों और देनदारियों के वितरण से संबंधित मुद्दे अपनी स्थापना के तुरंत बाद भी झारखण्ड सरकार से हल नहीं कर सका जिसके कारण सर्वप्रथम लेखे का अंतिमिकरण/अंकेक्षण में सात व र्षों की देरी हुई एवं लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में विफलता के कारण, जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा शुल्क आदेश जारी नहीं करना विलंब से पूरी करना हुआ।
- बोर्ड द्वारा टी. एण्ड डी. और ए.टी. एण्ड सी. हानियों को रोकने के लिए बिना मीटर के उपभोक्ताओं के ऊर्जा मूल्यांकन का अनुश्रवण नहीं किया गया।

निष्कर्ष

- बोर्ड ने मौजूदा नेटवर्क और वितरण नेटवर्क में परिवर्धन के रखरखाव के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं की थी।
- बोर्ड केन्द्रीय योजनाओं जैसे आर.जी.जी.वी.वाई. और ए.पी.डी.आर.पी. योजनाओं को मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी तरीके से लागू करने में विफल रहा, जैसा कि इन योजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया जा सका, उनके उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया। इसके अलावा कोई उचित तंत्र नहीं था जिसके द्वारा आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत पहले से ही विद्युतिकृत गाँव को ऊर्जांचित किया जाय और उपभोक्ताओं को मीटर पठन के अनुसार विपत्र दिया जाय।
- बिना मीटर के उपभोक्ताओं की संख्या 2010-11 में 8.92 लाख थी, जो कुल उपभोक्ताओं का 57 प्रतिशत था। डी.टी.आर. और फीडर का 100 प्रतिशत मीटरिंग का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तथा एच.टी. उपभोक्ताओं के मीटर के प्रतिस्थापना में देरी हुई।
- डी.वी.सी. कमांड क्षेत्र में संचरण लाइन की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड को उँची लागत पर ऊर्जा खरीदनी पड़ी।
- 2006-07 से 2010-11 तक संचरण एवं वितरण घाटे में 46 से 35 प्रतिशत की कमी हुई हालांकि, वे जे.एस.ई.आर.सी. के मानदंडों से अधिक थे।
- बिना मीटर के उपभोक्ताओं के सही आकलन के लिए कोई तंत्र नहीं था परिणामस्वरूप, चार विद्युत अंचलों में 2006-07 से 2010-11 तक 1,386 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण नहीं हो पाया।
- ₹ 3,483 करोड़ का बकाया शेष जो 22 महीने के आकलन के बराबर था, बोर्ड द्वारा वसूला नहीं गया।

अनुशंसाएँ

यह अनुशंसा की जाती है कि बोर्ड:

- मौजूदा नेटवर्क और वितरण नेटवर्क में परिवर्धन के रखरखाव के लिए दीर्घकालीन योजना की तैयारी करे;
- केन्द्रीय योजनाओं का तत्काल समापन कर तंत्र को मजबूत बनाए जो आर.जी. जी.वी.वाई. के तहत विद्युतीकृत गाँवों को ऊर्जान्वित करे तथा बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की विपत्रीकरण मीटर पठन के आधार पर करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरा लाभ पात्र लाभार्थियों को पारित हो;
- सभी उपभोक्ताओं, डी.टी.आर. और फीडर का मीटरिंग और दौषपूर्ण मीटर का तुरंत प्रतिस्थापन करे;
- डी.वी.सी. कमांड क्षेत्र में संचरण लाइन की स्थापना कर सबसे कम लागत पर ऊर्जा की खरीद को सुनिश्चित करे;
- उच्च वितरण हानि क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अन्दर वितरण हानि को घटाये;
- बिना मीटर उपभोक्ताओं के सही आकलन के लिए तंत्र का विकास करे; और
- उपभोक्ताओं के ऊर्जा विपत्र की बकाया राशि की तुरंत वसूली के लिए सघन अनुसरण करे।

खण्ड - 'ब' - लेन-देन की लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राष सरकार की कम्पनियों/निगमों के लेन-देन की नमूना षँच करने षर ष्रये षने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्ष षि षर्ष सन्निहित हैं।

सरकारी कम्पनियों

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

5.3 सेवा कर की षतिषूर्ति

अनुबंध के ष्रावधानों का उल्लंघन करते हुए षर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2.41 करोड़ के सेवा कर की षतिषूर्ति की गई और ठेकेदार को अनुचित लाभ षहुँचाया गया।

कम्पनी ने, मेसर्स संजय षरिवहन एजेंसी (ठेकेदार) के साथ (नवम्बर 2004) सिकनी कोयला षरियोजना के लिए षाड़े षर एक हैवी अर्थ मूविंग मशिनरी (एच.ई.एम.एम.) लेने का समझौता किया ताकि खान से 271.87 षति मिट्रीक टन के दर से कोयला उठाया और बाहर भेजा जा सके। समझौता में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुबंध था कि सभी कर चाहे वो स्थानीय, नगर निगम, राष सरकार या केन्द्रसरकार को दे या हो रही हो, एंसी के खाते में षारित होगा और इसे एच. ई.एम.एम. के किराया ष में शामिल माना षरगा।

विनियम, 2007 में खनन क्रियाकलापों को सेवा कर के षरे में लाया गया और 1 जून 2007 या इसके बाद दिए गए या दिए जाने वाले सेवा षर 12.36 षतिशत के ष से सेवा कर देना था। कानून के ष्रावधानों के अन्तर्गत सेवा कर षुगतान करने का दायित्व सेवा षदाता षर था।

लेखापरीक्षा में अवलोकित हुआ (फरवरी 2011) कि ठेकेदार द्वारा मई 2008 से दिसम्बर 2009 तक दिये गए खनन कार्य से सम्बंधित सेवा के लिए कम्पनी षर ₹ 2.41 करोड़ (फरवरी 2008) का दावा षस्तुत किया। यद्यपि, कम्पनी ने समझौते के ष्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन ठेकेदार को सेवा कर की षतिषूर्ति कर दी (जनवरी 2011)। इसमें 1 जून 2007 के षहले षि गए सेवा के लिए षर ₹ 5.90 लाख का सेवा कर भी शामिल था। इस षकार कम्पनी द्वारा अनुबंध के ष्रावधानों का उल्लंघन कर खनन ठेकेदार को ₹ 2.41 करोड़ की षतिषूर्ति सेवा कर का षुगतान किया। इस षकार इससे ठेकेदार को अनुचित लाभ षहुँचाया गया।

षबंधन ने कहा (मई 2011) कि ठेकेदार को सेवा कर की षतिषूर्ति का षुगतान कानूनी सलाह लेने के बाद किया गया था। जिसने विचार दिया था कि कम्पनी को सेवा षदान करने के तहत ठेकेदार द्वारा देय सेवा कर षतिषूर्ति योग्य था। षबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के खण्ड-6 के तहत सेवा कर षतिषूर्ति के योग्य नहीं था।

इस मामले की सूचना मई 2011 में प्रबंधन/सरकार को दे दी गई थी; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड

5.4 आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर विवरणी दायर करने में विलम्ब एवं अग्रिम आयकर के न भुगतान के फलस्वरूप आयकर पर ₹ 25.06 लाख का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 211 में प्रदत्त है कि प्रत्येक कम्पनी/निगम को नियत तिथि तक नियत दर पर अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है। अग्रिम कर की कम अदायगी या नहीं अदायगी के लिए कम्पनी, आयकर अधिनियम के धारा 234 (बी) और 234 (सी) के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। धारा 234 (ए) के प्रावधानों के अनुसार इहाँ किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय विवरणी नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है या नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो निर्धारित आय पर कर की राशि को अग्रिम कर के भुगतान और स्रोत पर काटे गए कर को घटाकर प्राप्त राशि पर प्रति माह या माह के भाग के लिए 1 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज आरोप्य है।

लेखापरीक्षा (मार्च 2011) में यह प्रया गया कि कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-10 (वित्तीय वर्ष 2008-09) के लिए अग्रिम कर का भुगतान 15 माह के बाद किया गया, और आयकर विवरणी भी 9 माह के विलम्ब से दायर किया गया। इस प्रकार कम्पनी ने अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज के आरोपण को आकर्षित किया। कम्पनी द्वारा ₹ 215.87 लाख के कर योग्य आय की गणना की गई और ₹ 81.84 लाख आयकर का भुगतान किया (जुलाई 2010), जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 234 (ए), 234 (बी) तथा 234 (सी) के तहत अग्रिम आयकर समय पर न भरने और आयकर विवरणी भरने में हुए विलम्ब के कारण आरोपित ₹ 8.47 लाख का ब्याज भी शामिल है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए अग्रिम कर का भुगतान सात माह की देरी से किया गया। निर्धारण वर्ष 2010-11 में कम्पनी द्वारा ₹ 644.45 लाख कर योग्य आय पर ₹ 219.05 लाख के कर दायित्व पर ₹ 16.59 लाख के ब्याज का भुगतान किया। आयकर विवरणी एक माह की देरी से दायर की गई। इस प्रकार आयकर अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के कारण कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए ₹ 25.06 लाख ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2011) कि 2008-09 एवं 2009-10 का कर दायित्व, झारखण्ड

सरकार/भारत सरकार द्वारा प्राप्त मोबीलाईजेसन अग्रिम के रूप में मिले हुए कोष के निवेश से उत्पन्न ब्याज रूपी आय पर आयकर दायित्व के कारण हुआ। चूंकि, कोष को ब्लेक्सी जमा योजना में रखा गया था, अतः ब्याज निश्चित नहीं था, ऐसे में ब्याज के रूप में कुल प्राप्त होने वाले आय पहले से ही निश्चित करना कठिन था। आगे यह भी बताया गया कि कम्पनी के निष्काक मण्डल द्वारा निवेशित कोष पर प्राप्त ब्याज के विरुद्ध झारखण्ड सरकार को देय ब्याज पर कोई निर्णय न लिए जाने के कारण, अग्रिम कर की देय राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका।

उत्तर, ब्याज से प्राप्त आय के आकलन के साथ-साथ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुमूलन में कम्पनी की विफलता की पुष्टि करती है। परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 25.06 लाख का परिहार्य भुगतान एवं अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

यह अनुशंसा किया जाता है कि प्रबंधन अग्रिम कर का निश्चित तिथियों पर भुगतान के साथ-साथ आयकर विवरणी समय पर दायर करना सुनिश्चित करे ताकि वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

इस मामले की सूचना मई 2011 में प्रबंधन/सरकार को दी गई थी; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

5.5 व्यर्थ अधिप्राप्ति

कम्पनी द्वारा सितम्बर 2009 में अप्राधिकृत विक्रेता से ₹ 66.31 लाख का ए.पी.एच. बॉस्केट हॉट ईण्ड के लिए खरीदा गया, जिसका उपयोग नहीं हुआ।

केंद्रमंत्रालय के उत्कृष्टता में साझेदारी के कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ताप केंद्र निगम के द्वारा तेनुघाट केंद्र केन्द्रलालानीया, के ईकाई I एवं II का पूंजित मरम्मत किया जाना था। इस कार्य में भेल को कार्य क्षेत्र को अंतिम रूप प्रदान करने और अतिरिक्त पुर्जों की सुवर्द्धि के लिए सम्मिलित किया गया था। कम्पनी ने मेसर्स भेल को हॉट ईण्ड (एच.ई.) इंटरमिडिएट ईण्ड (आई.ई.) एवं कॉल्ड ईण्ड (सी.ई.) के हरे अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति के लिए पुछताछ की (30 जून 2006)। मेसर्स भेल को (दिसम्बर 2006) हॉट ईण्ड (एच.ई.), इंटरमिडिएट ईण्ड (आई.ई.) एवं कॉल्ड ईण्ड (सी.ई.) के लिए दो-दो एयर प्री हीटर (ए.पी.एच.) बॉस्केट के आपूर्ति के लिए ₹ 3.80 करोड़ का क्रय आदेश दिया (दिसम्बर 2006)। ये अतिरिक्त पुर्जे मेसर्स भेल के स्वामित्व मदके थे। साथ-साथ कम्पनी खुली निविदा के द्वारा भी ए.पी.एच बॉस्केट के दो सेट खरीदने के लिए निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया कर रहा

था। इसे ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने मेसर्स भेल से दो सेट के बदले एच.ई.आई.ई. और सी.ई.के सिर्फ एक सेट ए.पी.एच बॉस्केट आपूर्ति करने को कहा (फरवरी 2007)। मेसर्स भेल ने यह कहते हुए माफ़ में कमी करना अस्वीकार कर दिया (फरवरी 2007) कि वे ए.पी.एच. बॉस्केट सेट का निर्माण किये गये और टी.टी.पी.एस. को भेज दिया गया। आगे, मेसर्स भेल ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी है कि कम्पनी द्वारा अन्य ए.पी.एच. बॉस्केट के क्रय आदेश, एक ऐसे आपूर्तिकर्ता को दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है जिसके पास ए.पी.एच. बॉस्केट बनाने का न तो कोई डिजाइन है, न रेखाचित्र और न ही कोई अन्य जानकारी। आगे यह भी बताया गया कि मेसर्स भेल ने इस काम के लिए किसी अन्य विक्रेता को भी अनुज्ञप्त नहीं किया था।

भेल द्वारा माफ़ में कमी न करने (फरवरी 2007) और स्वामित्व मदको ध्यान में रखने की जरूरत के बावजूद, क्रय समिति ने (मार्च 2007) मेसर्स बालाजी को एच.ई.के लिए दो सेट ए.पी.एच. बॉस्केट सी.ई. एवं आई.ई.के लिए मेसर्स ए.एस.पी.ए. को ₹ 1.88 करोड़ का क्रय आदेश देने की अनुशंसा की क्योंकि वे सबसे कम मूल्य के निविदाधारी थे। क्रय आदेश मेसर्स बालाजी एवं मेसर्स ए.एस.पी.ए. को अक्टूबर 2008 में निर्गत किये गए, जिनकी सुपुर्दगी तिथि नौ महीने निर्धारित की गई। मेसर्स बालाजी ने (अगस्त/सितम्बर 2009) में ₹ 66.31 लाख मूल्य के दो हॉट इण्ड, ए.पी.एच. बॉस्केट की आपूर्ति की। मेसर्स ए.एस.पी.ए. को फ्री ट्राय ओवर्लैप को रद्द कर दिया गया (जून 2011)। यह देखा गया कि भेल द्वारा भेजा गया ए.पी.एच बॉस्केट का प्रयोग इकाई I (जनवरी-मई 2008) और इकाई II (नवम्बर-दिसम्बर 2009) के पूंजीगत मरम्मत में किया गया। हाँलाकि, मेसर्स बालाजी द्वारा प्राप्त एच.ई.का प्रयोग भी नहीं किया गया (जून 2011)। अतः कम्पनी द्वारा एक अप्राधिकृत विक्रेता से एच.ई. खरीदने के कारण ₹ 66.31 लाख की अधिप्राप्ति व्यर्थ की गई।

प्रबंधन द्वारा यह बताया गया (जून 2011) कि मेसर्स ए.एस.पी.ए. एवं मेसर्स बालाजी को ऑर्डर इसलिए दिया गया था ताकि मेसर्स भेल के प्रतियोगी मूल्य का फायदा उठाया जा सके और इस प्रकार प्राप्ति को अतिरिक्त पुर्जे के रूप में अदृष्टस्थिति के लिए रखा जा सके। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि कम्पनी को इन स्वामित्व मदों को एक अप्राधिकृत विक्रेता से नहीं खरीदा जाना चाहिए था।

इस मामले की सूचना जून 2011 में प्रबंधन/सरकार को दी गई थी; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

राँची,
दिनांक

मृदुला सप्रू

(मृदुला सप्रू)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांक

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक